TROY SCHOOL DISTRICT

अधिकार और जिम्मेदारियां

विद्यार्थी आचार संहिता

संशोधित: अक्टूबर, 2018

ट्रॉय स्कूल डिस्ट्रिक्ट

मिशन वक्तव्य

ट्रॉय स्कूल डिस्ट्रिक्ट का उद्देश्य स्कूल समुदाय के सभी सदस्यों के लिए सीखना सुनिश्चित करना है।

विषयसूची

परिचय 1
विद्यार्थी अधिकार और ज़िम्मेदारियां 3
विद्यार्थी व्यवहार 3
पाठ्यक्रम वृद्धि 4
शैक्षणिक अपेक्षाएं, आचरण और मूल्यांकन 4
विद्यार्थी रिकॉर्ड 4
परामर्श और विद्यार्थी सेवाएं 6
विद्यार्थी सहायता कार्यक्रम 6
उपस्थिति 7
बोलने की आजादी और अभिव्यक्ति 8
प्रकाशन 9
स्कूल-प्रायोजित प्रकाशन 10
गैर-विद्यालयी प्रायोजित विद्यार्थी प्रकाशन 10
विद्यार्थी सरकार 15
विद्यार्थी की पोशाक 16
खोज और जब्ती 17
तंबाकू/इलेक्ट्रॉनिक वाष्प अंतःश्वसन उपकरणों का उपयोग 18
तकनीकी संसाधन 18
लोकपाल 19
शिकायतें 20
विद्यालय उपस्थिति 22
स्कूल बस चालकों के लिए 27
नियम व शर्तें 27
जिम्मेदारियां: 28
अनुशासन प्रक्रिया: 28
नियम और शर्तें 30
विद्यार्थी चालकों के लिए 30
अनुशासन प्रक्रिया: 31
प्रौद्योगिकी 33
बदमाशी और उत्पीड़न 36

शारीरिक संयम और एकांत.....40
जब्त सामग्री 42
भेदभाव विरोधी/.....43
यौन उत्पीड़न नीति.....43
विद्यार्थी आचार संहिता का उल्लंघन.....45
दृढ अनुशासन अभ्यास.....46
विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को अनुशासित करना 48
स्तर । उल्लंघन.....48
अनुशासन प्रक्रिया - स्तर I उल्लंघन 50
स्तर II उल्लंघन.....51
अनुशासन प्रक्रिया - स्तर II उल्लंघन 54
स्तर III उल्लंघन 55
अनुशासन प्रक्रिया - स्तर III उल्लंघन.....58
वैधानिक उल्लंघन.....59
अनुशासनात्मक प्रक्रिया.....65
देय प्रक्रिया अधिकार 65
निलंबन.....65
अपील.....67
निष्कासन 69
अपील.....70
शिकायत करने की प्रक्रिया.....72
शिकायत करने की प्रक्रिया.....72
शब्दकोष 75

परिचय

ट्रॉय स्कूल डिस्ट्रिक्ट सभी विद्यार्थियों के लिए सीखने का सकारात्मक माहौल बनाने और बनाए रखने के लिए समर्पित है। शैक्षणिक और सामाजिक सफलता को बढ़ाने वाले व्यवहार को बढ़ावा देने में शिक्षकों, प्रशासकों, सहायक कर्मचारियों, माता-पिता और विद्यार्थियों को एक ज़िम्मेदार भूमिका निभानी चाहिए। एक प्रभावी व्यवहार समर्थन प्रणाली सफल विद्यार्थी व्यवहार के शिक्षण और सीखने के लिए एक सक्रिय, सकारात्मक कौशल निर्माण का दृष्टिकोण है। विनम्र, सम्मानजनक, ज़िम्मेदार और कानून का पालन करने वाला व्यवहार सीखने वाले समुदाय के लिए सकारात्मक माहौल को बढ़ावा देता है।

विद्यार्थी आचार संहिता विद्यार्थी के अधिकारों और ज़िम्मेदारियों और स्कूल के नियमों के उल्लंघन के परिणामों को निर्धारित करती है। विद्यार्थियों को ऐसे तरीकों की एक निरंतरता/सातत्य की पेशकश की जाती है जो उन्हें उचित व्यवहार सीखने और बनाए रखने में मदद करते हैं और विद्यार्थी आचरण के नियमों के उल्लंघन को हतोत्साहित करते हैं। विद्यार्थी कदाचार के परिणामस्वरूप की जाने वाली उचित कार्रवाई का निर्धारण करते समय, स्कूल के अधिकारी हस्तक्षेप रणनीतियों, पुनर्स्थापनात्मक प्रथाओं और/या अनुशासनात्मक कार्रवाइयों का उपयोग कर सकते हैं जो वे कदाचार की गंभीरता और पुनरावृत्ति; विद्यार्थी की आयु और ग्रेड स्तर; कदाचार के आसपास की परिस्थितियाँ; स्कूल समुदाय में अन्य लोगों पर विद्यार्थी के दुर्व्यवहार का प्रभाव, और अन्य प्रासंगिक कारक के आधार पर उपयुक्त समझते हैं।

विद्यार्थी के अधिकारों और ज़िम्मेदारियों/विद्यार्थी आचरण संहिता पुस्तिका में निहित जानकारी ट्रॉय बोर्ड ऑफ एजुकेशन द्वारा अनुमोदित नीति की आधिकारिक घोषणा है। विद्यार्थी के अधिकारों और ज़िम्मेदारियों की घोषणा ट्रॉय स्कूल डिस्ट्रिक्ट के सभी विद्यार्थियों पर लागू होती है और इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के अधिकारों को रेखांकित करना है, क्योंकि वे कानून में मौजूद हैं, और इसे नए अधिकार प्रदान करने या कानून में मौजूद अधिकारों के पूरक के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

ट्रॉय स्कूल डिस्ट्रिक्ट कोड ऑफ़ स्टूडेंट कंडक्ट इस विश्वास का समर्थन करता है कि प्रत्येक वह व्यक्ति एक सकारात्मक, चिंतित, स्वीकार्य शैक्षिक समुदाय का हकदार है और उसकी आवश्यकता है जो विविधता को महत्व देता है और व्यक्तिगत समर्थन की एक व्यापक प्रणाली प्रदान करता है।

इस पुस्तिका का उद्देश्य ट्रॉय स्कूल डिस्ट्रिक्ट समुदाय द्वारा सीखने के सकारात्मक माहौल को बढ़ावा देने के लिए नीतियों, प्रक्रियाओं और अपेक्षाओं को निर्धारित करना है। इस संहिता को पढ़कर और अपने बच्चों के साथ अच्छे व्यवहार के महत्व पर चर्चा करके, आप सभी विद्यार्थियों को उनकी उच्चतम क्षमता तक पहुँचने में मदद करने के प्रयासों में डिस्ट्रिक्ट की सहायता करेंगे।

आचार संहिता लागू हैः

1. जबकि विद्यार्थी स्कूल जाते या स्कूल से आते हैं।
2. किसी भी समय किसी भी स्कूल डिस्ट्रिक्ट की संपत्ति पर।
3. परिसर में या बाहर सभी स्कूल-प्रायोजित या अनुमोदित कार्यक्रमों या गतिविधियों में।
4. बस स्टॉप पर या स्कूल बस में।
5. किसी भी स्कूल कर्मचारी के साथ किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या उसकी संपत्ति को नुकसान के संबंध में, चाहे वह स्कूल परिसर में हो या बाहर।
6. गंभीर और/या आपराधिक प्रकृति के किसी भी परिसर के बाहर कदाचार के संबंध में, जो विद्यार्थियों या डिस्ट्रिक्ट कर्मियों के स्वास्थ्य (शारीरिक या भावनात्मक) या कल्याण केविद्यार्थी लिए खतरे की संभावना पैदा करता है (यानी, परिसर के बाहर ड्रग्स बेचना), या जो यथोचित रूप से विद्यालय में विद्यार्थी की निरंतर उपस्थिति को शैक्षिक प्रक्रिया के लिए विघटनकारी बनाता है (अर्थात, परिसर के बाहर शातिर अपराध करना)।

इस दस्तावेज़ में निहित नियमों और शर्तों में सभी बोधगम्य विद्यार्थी दुर्व्यवहार शामिल नहीं हैं जिसके परिणामस्वरूप एक विद्यार्थी के खिलाफ प्रशासनिक अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है।

इसके अतिरिक्त, डिस्ट्रिक्ट कैंपस के बाहर दुर्व्यवहार के लिए अनुशासन लागू करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जो शैक्षणिक और अतिरिक्त पाठ्यक्रम सीखने के वातावरण में एक सामग्री व्यवधान पैदा करता है। इसके अलावा, विद्यार्थी आचार संहिता उस सीमा तक लागू होगी जिस हद तक डिस्ट्रिक्ट एक सुरक्षित और सीखने के लाभदायक माहौल को सुनिश्चित करने के लिए परिसर के बाहर व्यवहार पर विचार करने के लिए कानूनी रूप से आवश्यक है।

अध्याय1

विद्यार्थी अधिकार और ज़िम्मेदारियां

प्रत्येक स्कूल के भीतर, एक व्यवस्थित शैक्षिक प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए प्रिंसिपल[1] की प्राथमिक ज़िम्मेदारी और अधिकार होता है। ट्रॉय बोर्ड ऑफ एजुकेशन कानून द्वारा अनुमत स्वतंत्रता की गारंटी देता है, बशर्ते ये स्वतंत्रता विद्यार्थियों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण को ख़तरे में न डालें।

ट्रॉय बोर्ड ऑफ एजुकेशन, अपने कर्मचारियों के माध्यम से, विद्यार्थीं के अधिकारों और संबंधित विद्यार्थीं की ज़िम्मेदारियों को पहचानता है और उनका समर्थन करता है। जो विद्यार्थी अपनी ज़िम्मेदारी का ठीक से पालन करते हैं, वे कानून द्वारा गारंटीकृत उन अधिकारों का आनंद लेते रहेंगे।

विद्यार्थी व्यवहार

दार्शनिक आधार:

उचित विद्यार्थी व्यवहार भविष्य की सकारात्मक-नागरिकता के साथ निकटता से पहचाना जाता है। स्कूल लंबे समय से ऐसे संस्थान रहे हैं जहां न केवल अच्छी नागरिकता सिखाई जाती है, बल्कि विद्यार्थियों से उसकी उम्मीद भी की जाती है।

अधिकार -- विद्यार्थियों को:

एक पेशेवर स्टाफ और सुविधाओं तक पहुंच का अधिकार है जो कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से व्यक्तिगत विकास की उपलब्धि की अनुमति देता है।

जिम्मेदारियां -- विद्यार्थियों की ज़िम्मेदारी है:

कि वे खुद को इस तरह से संचालित करें कि सकारात्मक शैक्षिक वातावरण को बढ़ावा दे सकें।

---

[1] ***जहां भी हैंडबुक में प्रिंसिपल या सुपरिंटेंडेंट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, यह क्रमशः प्रिंसिपल या प्रिंसिपल के पदनामित अधिकारी, और सुपरिंटेंडेंट या सुपरिंटेंडेंट के पदनामित अधिकारी को दर्शाता है।**

पाठ्यक्रम वृद्धि

दार्शनिक आधार:

हाई स्कूल स्तर पर, विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों को पाठ्यचर्या संबंधी मुद्दों पर विद्यार्थी इनपुट प्रदान करने के लिए पाठ्यचर्या परिषद में सेवा देने के लिए चुना जाता है।

अधिकार -- विद्यार्थियों को:

- पाठ्यक्रम विकास में उस सीमा तक शामिल होने का अधिकार है, जिस हद तक उम्र, ग्रेड और परिपक्वता योग्यता भागीदारी का स्तर है।
- ज़िम्मेदार तरीके से भाग लेने की क्षमता प्रदर्शित करें।

जिम्मेदारियां -- विद्यार्थियों की ज़िम्मेदारी है कि:

वे सभी पाठ्यचर्या संबंधी आवश्यकताओं का पालन करें और यदि आवश्यक हो, तो स्कूल के जानकार व्यक्तियों से स्पष्टीकरण मांगें।

शैक्षणिक अपेक्षाएं, आचरण और मूल्यांकन

दार्शनिक आधार:

विद्यार्थी के कक्षा मूल्यांकन को विद्यार्थी की शैक्षणिक उपलब्धि से संबंधित शिक्षक के सर्वोत्तम मूल्यांकन को प्रतिबिंबित करना चाहिए।

यह व्यक्तिगत आचरण के उच्च मानकों को बनाए रखने और प्रोत्साहित करने के लिए स्कूल का इरादा है। इन मानकों में व्यक्तिगत ईमानदारी, अनुशासन और अखंडता शामिल है।

विद्यार्थी व्यक्तिगत रूप से सीखने और विकसित होने के लिए स्कूल में हैं। उनके प्रदर्शन का आकलन कक्षा में उनके व्यक्तिगत विकास पर आधारित होगा। इसमें व्यक्तिगत असाइनमेंट पर प्रदर्शन और सहयोगी वर्ग गतिविधियों में भागीदारी दोनों शामिल हैं। यह माना जाता है कि किसी विद्यार्थी द्वारा क्रेडिट के लिए किया गया कोई भी स्कूल का काम उस विद्यार्थी के प्रयास का परिणाम है। विद्यार्थियों के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि शैक्षणिक कदाचार आचार संहिता का गंभीर उल्लंघन है।

विद्यार्थी रिकॉर्ड

दार्शनिक आधार:

विद्यार्थी रिकॉर्ड स्कूल डिस्ट्रिक्ट द्वारा बनाए गए व्यक्तिगत विद्यार्थियों से संबंधित कोई भी लिखित या इलेक्ट्रॉनिक सामग्री हैं, केवल सामान्य निर्देशिका जानकारी और स्कूल कर्मियों के

व्यक्तिगत नोट्स को छोड़कर जो केवल उनके उपयोग के लिए अभिप्रेत हैं। परिवार शिक्षा अधिकार और गोपनीयता अधिनियम (FERPA) के अनुसार, स्कूल डिस्ट्रिक्ट के एजेंट के रूप में कार्य करने वाले स्कूल कर्मचारियों द्वारा प्राप्त जानकारी को अन्य डिस्ट्रिक्ट कर्मचारियों के साथ साझा किया जा सकता है, जिन्हें विद्यार्थी को शैक्षिक सेवाएं प्रदान करने की वैध शैक्षिक आवश्यकता है। विद्यार्थियों से जुड़ी जानकारी संभालकर रखा जाता है, जिसका उपयोग प्रत्येक विद्यार्थी के लिए सर्वोत्तम संभव शैक्षिक कार्यक्रम विकसित करने के लिए किया जा सकता है। **स्कूल के कर्मचारियों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जाती है ताकि विद्यार्थी की जानकारी को गोपनीय रखा जाए।** अनुपस्थित समय पर माता-पिता या विद्यार्थी आपत्ति, जनता के लिए उपलब्ध निर्देशिका जानकारी में शामिल हैं: विद्यार्थी का नाम, पता, टेलीफोन सूची, चित्र, अध्ययन का प्रमुख क्षेत्र, जन्म तिथि और जन्म स्थान, आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त गतिविधियों और खेलों में भागीदारी, एथलेटिक टीमों के सदस्यों का वजन और ऊंचाई, उपस्थिति की तारीखें, डिग्री और प्राप्त पुरस्कार, सबसे हाल ही में पिछले स्कूल में भाग लिया, और इसी तरह की अन्य जानकारी।

यदि माता-पिता (या 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के विद्यार्थी) उपरोक्त किसी भी जानकारी के प्रकाशन पर आपत्ति करते हैं, तो उन्हें प्रत्येक स्कूल वर्ष की 1 अक्टूबर तक सहायक / उप अध्यक्ष को लिखित रूप में सूचित करना होगा।

कृपया ध्यान दें कि प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 और 2001 राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम की आवश्यकता है कि स्कूल डिस्ट्रिक्ट माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के नाम, पते और टेलीफोन सूची तक पहुंच के अनुरोध पर सैन्य भर्ती प्रदान करते हैं जब तक कि माता-पिता/अभिभावक लिखित नोटिस प्रदान नहीं करते हैं कि वे नहीं चाहते कि उनके विद्यार्थी की जानकारी उनकी पूर्व लिखित सहमति के बिना प्रकट हो। इसके अतिरिक्त, संशोधित स्कूल कोड, MCL 380.1139, के लिए आवश्यक है कि एक पब्लिक हाई स्कूल के स्कूल अधिकारी संयुक्त राज्य के सशस्त्र बलों और संयुक्त राज्य के सशस्त्र बलों की सेवा अकादमियों को विद्यार्थी निर्देशिका जानकारी तक समान पहुंच प्रदान करें जैसे कि शैक्षिक या रोजगार के अवसर प्रदान करने वाली अन्य संस्थाओं को प्रदान किया जाता है। यदि आप नहीं चाहते कि डिस्ट्रिक्ट आपकी पूर्व लिखित सहमति के बिना इस जानकारी का खुलासा करे, तो आपको प्रत्येक स्कूल वर्ष की 1 अक्टूबर तक डिस्ट्रिक्ट को लिखित में सूचित करना होगा।

अधिकार -- विद्यार्थियों (नाबालिगों के माता-पिता) को अधिकार है कि:

रिकॉर्ड के रखरखाव के संबंध में परिवार शिक्षा अधिकार और गोपनीयता अधिनियम (FERPA) की आवश्यकताओं और विकलांग व्यक्तियों के शिक्षा अधिनियम (IDEA) की गोपनीयता आवश्यकताओं का पालन करने के लिए डिस्ट्रिक्ट की अपेक्षा करें। सभी विद्यार्थियों को अनुरोध पर अपने स्थायी रिकॉर्ड और मार्गदर्शन परामर्शदाता की उपस्थिति में देखने का अधिकार है।

जिम्मेदारियां -- विद्यार्थियों (नाबालिगों के माता-पिता) की ज़िम्मेदारी है कि वे:

- अपनी शिक्षा में पूर्ण रूप से भाग लें।
- ट्रॉय स्कूल की उत्कृष्टता के उच्च स्तर को बनाए रखें डिस्ट्रिक्ट।
- शैक्षिक सेटिंग्स में उनकी अकादमिक अखंडता को बनाए रखें।
- किसी भी व्यक्ति या संस्था की लिखित में डिस्ट्रिक्ट को सूचित करें कि विद्यार्थी रिकॉर्ड के प्रकटीकरण को प्राप्त करने के लिए अधिकृत नहीं करेगा।

परामर्श और विद्यार्थी सेवाएं

दार्शनिक आधार:

व्यक्तिगत ज़रूरतें या चिंताएँ विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास को गंभीर रूप से खतरे में डाल सकती हैं और इसमें हस्तक्षेप कर सकती हैं। माता-पिता और विद्यार्थियों की ज़िम्मेदारी है कि वे स्कूल को ऐसी जानकारी प्रदान करें जो अच्छे शैक्षिक निर्णय लेने में उपयोगी हो सकती है जो विद्यार्थी की सफलता का समर्थन करेगी। स्कूलों की ज़िम्मेदारी है कि वे ऐसी सहायता सेवाएं (परामर्श सेवाएं, स्कूल सामाजिक कार्य, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन) उपलब्ध कराएं, जैसा कि यह विद्यार्थियों को आवश्यक और उपयुक्त लगता है, और विद्यार्थियों को इन सेवाओं और बाहरी एजेंसियों की सेवाओं के बारे में सूचित करना है।

अधिकार -- विद्यार्थियों को:

उन परामर्श सेवाओं तक पहुँचने का अधिकार है जो स्कूलों द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं।

जिम्मेदारियां -- विद्यार्थियों की ज़िम्मेदारी है कि:

उपलब्ध परामर्श सेवाओं के बारे में पूछताछ करें और परामर्श सेवाओं की तलाश करें जो वे उचित समझें।

विद्यार्थी सहायता कार्यक्रम

दार्शनिक आधार:

कोई भी विद्यार्थी अकादमिक और व्यक्तिगत कठिनाइयों के लिए जोखिम में हो सकता है (उदाहरण के लिए रासायनिक रूप से निर्भर वयस्क के साथ रहना)। माता-पिता, विद्यार्थियों और कर्मचारियों की ज़िम्मेदारी है कि वे स्कूल को ऐसी जानकारी प्रदान करें जो विद्यार्थियों को उनकी स्थितियों को समझने और उनका सामना करने में सहायता करने में उपयोगी हो। स्कूल की ज़िम्मेदारी है कि वह विद्यार्थियों को शैक्षिक और सहायता कार्यक्रम, जैसा कि लागू परिस्थितियों में आवश्यक समझा जाए, प्रदान करें और विद्यार्थियों को इन कार्यक्रमों और बाहरी एजेंसियों की सेवाओं के बारे में सूचित करें।

अधिकार -- विद्यार्थियों को:

स्कूल द्वारा उपलब्ध कराए गए शैक्षिक और सहायता कार्यक्रमों तक पहुंचने का अधिकार है।

ज़िम्मेदारी - विद्यार्थियों की ज़िम्मेदारी है कि वे:

उपलब्ध शैक्षिक और सहायता कार्यक्रमों के बारे में पूछताछ करें और उन कार्यक्रमों में भाग लें।

उपस्थिति

दार्शनिक आधार:

यहाँ शैक्षणिक उपलब्धि और नियमित, शीघ्र उपस्थिति के बीच सीधा संबंध है। किसी कक्षा में बार-बार अनुपस्थित रहना, क्षमा या क्षमा न करना, या मंदता किसी विद्यार्थी की प्रगति और उस कक्षा के लिए श्रेय को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। अनिवार्य स्कूल उपस्थिति कानूनों को लागू करने और ट्रॉय बोर्ड ऑफ एजुकेशन की उपस्थिति नीति को लागू करने के लिए राज्य के कानून के तहत स्कूल प्रशासकों की ज़िम्मेदारी है। ट्रॉय स्कूल डिस्ट्रिक्ट में नामांकित विद्यार्थियों की ज़िम्मेदारी है कि वे राज्य के कानून के तहत स्कूल में उपस्थित हों और ट्रॉय बोर्ड ऑफ एजुकेशन की उपस्थिति नीति का पालन करें।

माता-पिता से अपेक्षा की जाती है कि वे स्कूल को अनुपस्थिति के दिन बीमारी या व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्याओं के बारे में सूचित करें जो उपस्थिति पर प्रभाव डाल सकती हैं। स्कूल के समय के बाद बाहर की नियुक्तियों को निर्धारित करने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। स्कूल कैलेंडर में उल्लिखित छुट्टियों के दौरान पारिवारिक छुट्टियों की योजना बनाई जानी चाहिए। उपस्थिति नीति के उल्लंघन के कारण क्रेडिट के नुकसान से बचने के लिए माता-पिता को अपने विद्यार्थी के साथ अच्छी उपस्थिति के महत्व पर चर्चा करनी चाहिए।

अधिकार -- विद्यार्थियों को:

- ऐसी स्कूल नीतियां प्राप्त करने का अधिकार है जो स्पष्ट रूप से अनुपस्थिति, अकारण अनुपस्थिति और मंदता/आलस्य को परिभाषित करती हैं।
- अनुपस्थिति से संबंधित निर्णय की अपील करें (क्षमा करना या क्षमा न करना।)
- अधिकृत अनुमति प्राप्त करने के बाद स्कूल की संपत्ति छोड़ दें।

ज़िम्मेदारियां-- विद्यार्थियों की ज़िम्मेदारी है कि:

- सभी कक्षाओं में प्रतिदिन एवं समय पर उपस्थित हों।
- उपस्थिति नीति के अनुसार माता-पिता मौखिक रूप से विद्यार्थी की अनुपस्थिति के बारे में स्कूल को सूचित करें।
- भवन निर्माण नीति के अनुसार स्कूल परिसर में रहें, जब तक कि कोई कारण न हो।
- पुष्टि करें कि उनके पास शैक्षिक सेटिंग/परिसर छोड़ने का प्राप्त प्राधिकरण है।

कृपया ध्यान दें कि स्कूल से लगातार अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप प्रोबेट कोर्ट और/या मिशिगन डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज को ट्रुएन्सी (कामचोरी) कानून और/या शैक्षिक उपेक्षा के उल्लंघन के रूप में संदर्भित किया जा सकता है।

बोलने की आजादी और अभिव्यक्ति

दार्शनिक आधार:

हमारे समाज में ज़िम्मेदार आत्म-अभिव्यक्ति के लिए विद्यार्थीं को तैयार करना स्कूल की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। स्व-अभिव्यक्ति को, जैसे कि अमेरिकी संविधान में पहले और चौदहवें संशोधन के तहत अनुमति दी गई है, स्कूल की व्यवस्थित शैक्षिक प्रक्रिया को बाधित नहीं करना चाहिए या विद्यार्थी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।

अधिकार -- विद्यार्थीं को:

- किसी भी गतिविधि से छूट पाने का अधिकार है जो उनकी धार्मिक मान्यताओं का उल्लंघन करती है।
- प्रधानाध्यापक के अनुमोदन से विद्यालय की संपत्ति पर विद्यालय संबंधी गतिविधियों के लिए शांतिपूर्वक एकत्रित होने का अधिकार है।
- मुख्य अध्यापक के अनुमोदन से, विद्यार्थी निकाय को घोषणाएं करने और बयान देने के उद्देश्य से बुलेटिन बोर्ड या उसके समकक्ष तक पहुंच प्राप्त करें।

- ज़िम्मेदारी से आवाज़ उठाएं और विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला पर अपने विचार व्यक्त करें।

जिम्मेदारियां -- विद्यार्थीं की ज़िम्मेदारी है कि:

- वे उस किसी भी गतिविधि से छूट/मुक्त होने के लिए लिखित में अनुरोध करें जो उनकी धार्मिक मान्यताओं के विपरीत है।
- मुख्य अध्यापक की मंजूरी प्राप्त करें और अनुरोधित सभा के तरीके, समय और स्थान के अनुसार स्थापित नियमों का पालन करें।
- लिखित सामग्री के प्रसार सहित बुलेटिन बोर्ड या इसके समकक्ष का उपयोग करने के लिए मुख्य अध्यापक का अनुमोदन प्राप्त करें और स्थापित नियमों का पालन करें।
- डिस्ट्रिक्ट के पाठ्यक्रम से उचित रूप से संबंधित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला पर एक सम्मानजनक और ज़िम्मेदार तरीके से आवाज उठाएं और अपने विचार व्यक्त करें।
- अन्य व्यक्तियों के अलग-अलग दृष्टिकोणों का सम्मान करें।

प्रकाशन

दार्शनिक आधार:

स्कूल की महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक प्रभावी तरीके प्रदान करना है जिससे विद्यार्थी कई विषयों पर एक ज़िम्मेदार तरीके से खुद को व्यक्त करना सीखते हैं। आधिकारिक स्कूल प्रकाशनों को, जैसे स्कूल समाचार पत्र, एक ज़िम्मेदार तरीके से विद्यार्थी संपादकों की नीति और निर्णय को प्रतिबिंबित करना चाहिए और पूरे स्कूल समुदाय के दृष्टिकोण प्रतिनिधि को शामिल करना चाहिए।

अधिकार -- विद्यार्थीं को:

- विद्यार्थीं और प्राचार्यों द्वारा पहले से सहमत दिशानिर्देशों के भीतर अपने प्रकाशनों की सेंसरशिप से मुक्त होने का अधिकार है।
- उस साहित्य की समीक्षा करें और/या याद करें जिसे वे मुख्य रूप से व्यावसायिक प्रकृति का मानते हैं, जो आपत्तिजनक हैं, या ऐसी सामग्री जो स्कूल के व्यवस्थित संचालन को बाधित कर सकती है।

जिम्मेदारियां -- विद्यार्थीं की ज़िम्मेदारी है कि:

- सामग्रियों को जिम्मेदार तरीके से पोस्ट, प्रकाशित या वितरित करें ताकि स्कूल के कार्यक्रम में बाधा न आए और इन सामग्रियों को केवल उन बुलेटिन बोर्ड या दीवार क्षेत्रों पर पोस्ट करें जिन्हें विद्यार्थीं और विद्यार्थी संगठनों द्वारा उपयोग के लिए नामित किया गया है।
- उन सामग्रियों को प्रकाशित करने से बचना चाहिए जो विद्यार्थीं और मुख्य अध्यापकों द्वारा पहले से सहमत दिशानिर्देशों के भीतर नहीं हैं
- अच्छे स्वाद और ज़िम्मेदार पत्रकारिता के स्वीकार्य मानकों का पालन करें।

स्कूल-प्रायोजित प्रकाशन

कृपया ध्यान दें कि डिस्ट्रिक्ट स्कूल-प्रायोजित या कक्षा-निर्मित प्रकाशनों की सामग्री और शैली, नाट्य प्रस्तुतियों और अन्य अभिव्यंजक गतिविधियों पर उचित रूप से वैध शैक्षिक चिंताओं से संबंधित संपादकीय नियंत्रण का प्रयोग करेगा।

स्कूल-प्रायोजित प्रकाशनों में वे प्रकाशन और समाचार पत्र शामिल हैं जिन्हें शैक्षिक पाठ्यक्रम या कक्षा गतिविधि के हिस्से के रूप में बनाया और विकसित किया गया है। अकादमिक कक्षा के हिस्से के रूप में उत्पादित सभी प्रकाशनों को प्रकाशन और वितरण से पहले कक्षा केअध्यापक या प्रायोजक का अनुमोदन होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, प्रकाशन से पहले मुख्य अध्यापक द्वारा प्रत्येक मुद्दे की समीक्षा की जानी चाहिए।

जबकि स्कूल प्रायोजित प्रकाशन ज़िम्मेदार पत्रकारिता के नियमों के भीतर स्वतंत्र अभिव्यक्ति या विविध दृष्टिकोण को प्रतिबंधित नहीं करेगा, प्रशासन के पास किसी भी प्रकाशन की उपयुक्तता के संबंध में अंतिम निर्णय होगा।

गैर-विद्यालयी प्रायोजित विद्यार्थी प्रकाशन

ट्रॉय स्कूल डिस्ट्रिक्ट के विद्यार्थी गैर-स्कूली प्रायोजित विद्यार्थी प्रकाशनों या स्कूल की संपत्ति पर गैर-सरकारी प्रकाशनों को स्कूल के घंटों के दौरान बिल्डिंग प्रिंसिपल द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्रों में वितरित कर सकते हैं, जब तक कि प्रकाशनों में ऐसी अभिव्यक्ति शामिल न हो जो:

1. निंदनीय है;
2. नाबालिगों के लिए अश्लील है;

3. लड़ाई वाले शब्दों का गठन करती है, जिसकी अभिव्यक्ति अन्य लोगों को चोट पहुँचाती है या परेशान करती है या तत्काल शांति भंग करने के लिए उकसाती है (यानी, हिंसा की धमकी, किसी व्यक्ति की जाति, धर्म, जातीय मूल की मानहानि, या अन्य विशिष्ट विशेषताएं जो अत्यधिक आक्रामक हैं और जिनकी श्रोता द्वारा एक आसन्न प्रतिक्रिया का कारण बनने की संभावना है);
4. नशीली दवाओं के सामान, नियंत्रित पदार्थों, या किसी ऐसे उत्पाद या सेवा का विज्ञापन करती है जिसकी कानून द्वारा अवयस्कों को अनुमति नहीं है;
5. व्यापक रूप से अशोभनीय या अश्लील है;
6. यथोचित पूर्वाभास जोखिम प्रस्तुत करती है जो, या तो सामग्री या वितरण के तरीके के कारण है, प्रकाशन स्कूल या स्कूल की गतिविधियों के उचित और व्यवस्थित संचालन और अनुशासन में सामग्री और पर्याप्त व्यवधान पैदा करेगा या वैध स्कूल नियमों के उल्लंघन के लिए गैरकानूनी कार्यों के कमीशन का कारण बनेगा।

समय, स्थान और वितरण का तरीका

लिखित सामग्री का वितरण उचित समय, स्थान और तरीके तक सीमित होगा। वितरण जो स्कूल के गलियारों और/या प्रवेश मार्गों के भीतर यातायात के सामान्य प्रवाह में काफी हद तक हस्तक्षेप करता है; जो किसी विद्यार्थी को निर्धारित समय पर कक्षा में आने से रोकता है या प्रतिबंधित करता है; जो किसी भी प्रकाशन को स्वीकार या अस्वीकार करने के किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार के लिए बाध्य है; या जो "सामान्य स्कूल गतिविधियों" के साथ पर्याप्त और भौतिक हस्तक्षेप का कारण बनता है, उसकी अनुमति नहीं दी जाएगी।

प्रक्रियाएं

गैर-विद्यालयी प्रायोजित लिखित सामग्री को वितरित या प्रदर्शित करने के इच्छुक विद्यार्थी को पहले निम्नलिखित में से किसी एक को सामग्री की एक प्रति अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करनी होगी: प्रधानाचार्य, सहायक प्रधानाचार्य या मुख्य अध्यापक के सचिव। इन सामग्रियों को सीधे उपरोक्त व्यक्तियों में से किसी एक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए; किसी व्यवस्थापक के डेस्क पर सामग्री की एक प्रति छोड़ना अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना नहीं है। इसके अलावा, अनुरोध करने वाला विद्यार्थी निम्नलिखित जानकारी प्रदान करने वाले अनुरोध को पूरा करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा:

1. अनुरोध सबमिट करने वाले व्यक्ति का नाम, विद्यार्थी आईडी नंबर और टेलीफोन नंबर;
2. अपेक्षित प्रदर्शन या वितरण के दिन की तिथि और समय;
3. वह स्थान जहां सामग्री प्रदर्शित या वितरित की जाएगी; तथा
4. विद्यार्थीं का वह ग्रेड जिसे प्रदर्शन या वितरण करने का इरादा है।

वितरित या प्रदर्शित की जाने वाली सामग्री की एक प्रति, पूर्ण अनुरोध फॉर्म के साथ, वांछित वितरण समय से पहले एक स्कूल दिवस (24 घंटे) के ऊपर सूचीबद्ध व्यक्तियों में से किसी एक को प्रदान की जानी चाहिए।

प्रस्तुत करने के समय, विद्यार्थी को अधिकार है, और प्रोत्साहित किया जाता है कि वह व्यक्तिगत रूप से प्रधानाचार्य से मिलें ताकि विद्यार्थी और प्रधानाचार्य स्वतंत्र रूप से विचारों का आदान-प्रदान कर सकें कि विद्यार्थी प्रकाशन का वितरण उचित हो सकता है या नहीं। विद्यार्थी या उसका प्रतिनिधि प्रासंगिक गवाहों और/या सामग्री के वितरण के लिए अपने मामले का समर्थन कर सकता है।

यह निर्धारित करने में कि क्या कोई विद्यार्थी प्रकाशन विघटनकारी है, स्कूल कर्मियों द्वारा निम्नलिखित कारकों पर विचार किया जाएगा: समान सामग्री के साथ पिछले अनुभव; विद्यार्थीं के साथ व्यवहार और पर्यवेक्षण करने का पिछला अनुभव; विद्यार्थी के दृष्टिकोण और व्यवहार को प्रभावित करने वाली वर्तमान घटनाएं; प्रश्न में प्रकाशन प्रस्तुत करने से पहले या समसामयिक रूप से वास्तविक या धमकी भरे शारीरिक व्यवधान के कोई भी उदाहरण।

मुख्य अध्यापक या उनके प्रतिनिधि प्रश्नगत प्रकाशन के वितरण को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अपना निर्णय देंगे और प्रस्तुत करने के एक स्कूल दिवस के भीतर विद्यार्थी को निर्णय के बारे में सूचित करेंगे। यदि वितरित करने की स्वीकृति नहीं दी जाती है, तो मुख्य अध्यापक या उनके प्रतिनिधि लिखित रूप में विद्यार्थी को कारण बताएंगे।

यदि अनुरोध सबमिट करने वाले व्यक्ति को सबमिट करने के चौबीस (24) घंटों के भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो व्यक्ति उस कार्यालय से संपर्क करेगा जहां उसने सामग्री जमा की थी ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि प्रतिक्रिया की कमी विद्यार्थी का पता लगाने में असमर्थता के कारण नहीं थी। यदि विद्यार्थी ने यह सत्यापन किया है और अनुरोध का कोई जवाब नहीं है, तो सामग्री को ऊपर निर्धारित समय, स्थान और तरीके के प्रावधान के अनुसार वितरित किया जा सकता है।

यदि विद्यार्थी मुख्य अध्यापक या प्रतिनिधि के निर्णय से असंतुष्ट है, तो विद्यार्थी इस निर्णय के खिलाफ अपील कर सकता है। मुख्याध्यापक के निर्णय की अपील मुख्याध्यापक के निर्णय के दो (2) स्कूल दिनों के भीतर मौखिक या लिखित रूप में अधीक्षक को सूचित करके की जा सकती है।

अधीक्षक विचाराधीन प्रकाशन के वितरण को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का निर्णय करेगा और विद्यार्थी की अपील के तीन (3) स्कूल दिनों के भीतर लिखित रूप में विद्यार्थी को उसके कारणों के बारे में सूचित करेगा। यदि विद्यार्थी को तीन (3) दिनों के भीतर अधीक्षक से कोई जवाब नहीं मिलता है, तो वह यह सत्यापित करने के लिए अधीक्षक कार्यालय से संपर्क करेगा कि प्रतिक्रिया की कमी विद्यार्थी का पता लगाने में असमर्थता के कारण नहीं थी। यदि विद्यार्थी ने यह सत्यापन किया है और अधीक्षक द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है, तो सामग्री को इस नीति में ऊपर निर्धारित समय, स्थान और तरीके के प्रावधानों के अनुसार वितरित किया जा सकता है। अधीक्षक का निर्णय अंतिम होता है।

शर्तों की परिभाषाएं

"विद्यालय दिवस" का अर्थ है नियमित स्कूल वर्ष या ग्रीष्म सत्र के दौरान कोई भी दिन जब नियमित रूप से निर्धारित कक्षा दिशा-निर्देश होता है और इसमें शनिवार, रविवार और आधिकारिक स्कूल की छुट्टियां शामिल नहीं होती हैं।

"प्रकाशन" का अर्थ है कोई भी पुस्तक, पत्रिका, पैम्फलेट, समाचार-पत्र, वार्षिक पुस्तक, फ्लायर, याचिका, चित्र, फोटोग्राफ, ड्राइंग, बटन, बैज, प्रतीक चिन्ह या कोई अन्य लिखित या मुद्रित सामग्री। प्रकाशन में किसी व्यक्ति के दृश्य प्रतिनिधित्व भी शामिल हैं।

"वितरण" का अर्थ है विद्यार्थीों के लिए सामान्य स्कूल गतिविधि केसमय और स्थान पर, या सामान्य स्कूल गतिविधि के तुरंत पहले या बाद में विद्यार्थीों के लिए प्रकाशन के विस्तार या प्रसार, मुफ्त प्रतियां सौंपने, बेचने या बिक्री के लिए प्रतियां पेश करने, स्वीकार करने के माध्यम से स्कूल की इमारत या संपत्ति के क्षेत्रों में प्रकाशन या सामग्री प्रदर्शित करने की प्रतियों के लिए दान जो आमतौर पर विद्यार्थीों द्वारा अक्सर किया जाता है। ऐसी सामग्री से निपटने में जो "अश्लील" या "अपमानजनक" है, शब्द "वितरण" एक या अधिक प्रतियों के प्रसार को संदर्भित करता है; अन्य सभी प्रकार की सामग्री से निपटने में, शब्द "वितरण" विद्यार्थी प्रकाशन के पर्याप्त विस्तार या प्रसार को संदर्भित करता है ताकि विद्यार्थी प्रकाशन स्कूल के विद्यार्थीों के लिए आम तौर पर उपलब्ध हो सके।

"सामान्य स्कूल गतिविधि" का अर्थ है स्कूल द्वारा प्रायोजित और स्कूल स्टाफ के एक सदस्य की प्रत्यक्ष देखरेख में विद्यार्थीों की संगठित शैक्षिक गतिविधि। सामान्य स्कूल गतिविधियां उदाहरण के रूप में शामिल हैं, न कि निम्नलिखित की रूकावटों द्वारा शामिल हैं: कक्षा का काम; पुस्तकालय गतिविधियाँ; शारीरिक शिक्षा कक्षाएं; आधिकारिक सभाएँ और अन्य समान सभाएँ; स्कूल एथलेटिक प्रतियोगिताएं; बैंड संगीत कार्यक्रम; स्कूल नाटक; शिड्यूल्ड-इन-स्कूल लंच अवधि।

"नाबालिग" का अर्थ 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति है।

"अवयस्कों के लिए अश्लील" का अर्थ है कि समकालीन सामुदायिक मानकों को लागू करने वाला एक औसत व्यक्ति यह पाता है कि प्रकाशन, कुल मिलाकर जिस आयुवर्ग के अवयस्कों को इसे वितरित करने का निवेदन किया गया है, उनमे काम (कामुकता) के प्रति रुचि जगाता है; कि प्रकाशन इस तरह से चित्रित या वर्णन करता है, जो वयस्क समुदाय में इस प्रकार के आचरण को नाबालिगों, (जिनको इसके वितरण का अनुरोध किया गया है), के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाना चाहिये, इससे जुड़े प्रचलित मानकों के लिए स्पष्ट रूप से आक्रामक है , जैसे अंतरंग यौन कार्यों का वर्णन करने वाला आचरण; और यह कि समग्र रूप से किए गए कार्य में नाबालिगों के लिए गंभीर साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक, राजनीतिक या वैज्ञानिक मूल्य का अभाव है।

"परिवाद" झूठा और अप्रतिबंधित (प्रतिरक्षा द्वारा असुरक्षित) बयान, लिखित रूप में प्रकाशन, या आंखों के लिए चित्रों, पुतलों या अन्य निश्चित अभ्यावेदन की छपाई है जो किसी व्यक्ति को सार्वजनिक घृणा, तिरस्कार या उपहास के लिए उजागर करता है, जिसके कारण उसे त्याग दिया जाता है या टाल दिया जाता है, उसमें उसके व्यवसाय में उसे चोट पहुँचाने की प्रवृत्ति होती है, व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाता है या उसकी छवि को नुकसान पहुंचता है या समुदाय में उसकी गरिमा को कम करता है। जब प्रकाशन "सार्वजनिक अधिकारियों," (अर्थात, जो सरकारी पद धारण करते हैं) या "सार्वजनिक व्यक्ति" से संबंधित है (अर्थात, जो अपनी उपलब्धियों, रोजगार की कुख्याति के कारण, या जोश और सफलता के कारण जिसके साथ वे जनता का ध्यान चाहते हैं) मानहानिकारक झूठ को "वास्तविक द्वेष" के साथ अपमानजनक होने के लिए बनाया जाना चाहिए (यानी, इस ज्ञान के साथ कि यह झूठा था या लापरवाह अवहेलना के साथ कि क्या झूठा था या नहीं)।

सामान्य स्कूल गतिविधि की "सामग्री और पर्याप्त व्यवधान" का अर्थ है:

- जहां सामान्य स्कूल गतिविधि स्कूल डिस्ट्रिक्ट का एक शैक्षिक कार्यक्रम है जिसके लिए विद्यार्थी उपस्थिति अनिवार्य है, कोई भी व्यवधान जो उस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में बाधा डालता है या बाधित करता है।

- जहां सामान्य स्कूल गतिविधि प्रकृति में स्वैच्छिक है (उदाहरण के लिए और सीमा के लिए नहीं, स्कूल एथलेटिक कार्यक्रम, नाटक, संगीत कार्यक्रम, दोपहर के भोजन की अवधि शामिल है), "पर्याप्त व्यवधान" का अर्थ है विद्यार्थी दंगा, संपत्ति की गैरकानूनी जब्ती, व्यापक चिल्लाहट या घटना के लिए अनुचित आचरण, स्कूल के बहिष्कार में भाग लेना, प्रदर्शन, सिट-इन, स्टैंड-इन, वॉक-आउट, या गतिविधि के अन्य संबंधित रूप। गरमागरम चर्चा या वाद-विवाद का अनुकरण करने वाली सामग्री यहां निषिद्ध प्रकार के व्यवधान का गठन नहीं करती है।
- एक विद्यार्थी प्रकाशन को विघटनकारी माना जाने के लिए, विशिष्ट स्पष्ट तथ्य मौजूद होने चाहिए जिस पर यह भविष्यवाणी करना उचित होगा कि सामग्री वितरित किए जाने पर सामान्य स्कूल गतिविधि या स्कूल अनुशासन में तत्काल, पर्याप्त और भौतिक व्यवधान की स्पष्ट और वर्तमान संभावना होगी।

अनुशासनात्मक कार्यवाही

मुख्याध्यापक या उनके प्रतिनिधि द्वारा प्रारंभिक समीक्षा की अवधि के दौरान विद्यार्थी प्रकाशन का वितरण; मुख्याध्यापक या उनके प्रतिनिधि द्वारा नकारात्मक निर्णय के बाद, या अपील की अवधि के दौरान, इस पुस्तिका में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार मुख्याध्यापक द्वारा विद्यार्थी की अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार होंगे।

संवैधानिक गारंटी

पूर्व समीक्षा के अधिकार का प्रयोग करने में, स्कूल कर्मियों को संयुक्त राज्य के संविधान में पहले संशोधन द्वारा निर्देशित किया जाएगा। यह स्कूल और उसके कर्मचारियों की ज़िम्मेदारी है कि कक्षा में सीखने के एक व्यवस्थित कार्यक्रम के लिए आवश्यक वातावरण की स्थापना करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि विद्यार्थीों के स्वयं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने के अधिकार का उसी समय उल्लंघन नहीं किया जाएगा। विद्यार्थी प्रकाशनों का वितरण केवल इसलिए प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा क्योंकि उनमें अलोकप्रिय, आलोचनात्मक, विवादास्पद, बेस्वाद या आपत्तिजनक विचारों की अभिव्यक्ति है।

विद्यार्थी सरकार

दार्शनिक आधार:

विद्यार्थी सरकार विद्यार्थीं को खुद को व्यक्त करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से स्कूल के मामलों पर कार्य करने का अवसर प्रदान करने का एक साधन है। स्कूल समुदाय के सभी सदस्य विद्यार्थी सरकार की मदद करने की ज़िम्मेदारी मिलकर उठाते हैं। उपयुक्त स्तर पर, विद्यार्थीं को उन निर्णयों में भाग लेने का अवसर दिया जाता है जो स्कूल के शिक्षा माहौल को प्रभावित करते हैं। ताकि विद्यार्थी सरकार एक सूचित संगठन के रूप में कार्य कर सके, ट्रॉय बोर्ड ऑफ एजुकेशन नीतियां और व्यक्तिगत स्कूल नीतियां अनुरोध पर उपलब्ध कराई जाएंगी।

अधिकार -- विद्यार्थीं को:

- विद्यार्थी सरकार का गठन और संचालन करने का अधिकार है।
- सरकारी संगठनों में कार्यालय की तलाश और उसे धारण करने का अधिकार है।
- यदि वे विधिवत निर्वाचित सदस्य हैं तो इस संगठन की निर्धारित बैठकों में नियमित रूप से भाग लेने का अधिकार है।
- माध्यमिक विद्यालय विद्यार्थी सरकार द्वारा स्कूल प्रशासन और अन्य शामिल पार्टियों के सहयोग से किए गए सभी निर्णयों से अवगत रहें।

जिम्मेदारियां -- विद्यार्थीं की ज़िम्मेदारी है कि वे:

- विद्यार्थी सरकार के सदस्यों के रूप में, विद्यार्थी निकाय द्वारा व्यक्त की गई जरूरतों और चिंताओं का प्रतिनिधित्व करें।
- राष्ट्रीय और राज्य विद्यार्थी सरकार संघों और ट्रॉय स्कूल डिस्ट्रिक्ट द्वारा स्थापित दिशा-निर्देशों का पालन करें।
- अन्य उम्मीदवारों के सम्मान के साथ सकारात्मक, परिपक्व तरीके से चुनाव अभियान का संचालन करें।
- बैठकों के प्रायोजक को सूचित करें, और इन बैठकों में उपस्थिति के कारण छूटे हुए कार्यों को पूरा करें।
- निर्वाचित कार्यालय धारकों के रूप में, विद्यार्थी निकाय के लिए सकारात्मक रोल मॉडल के रूप में कार्य करें।

विद्यार्थी की पोशाक

दार्शनिक आधार:

विद्यार्थीं की पोशाक व्यक्ति के स्वास्थ्य और सुरक्षा में योगदान करेगी और व्यवस्थित शैक्षिक प्रक्रिया को बाधित नहीं करेगी।

अधिकार -- विद्यार्थीं को:

- इस तरह से पोशाक पहनने का अधिकार है जो उनके व्यक्तिवाद, पारिवारिक पृष्ठभूमि और अद्वितीय व्यक्तित्व को दर्शाती है।

जिम्मेदारियां -- विद्यार्थीं की ज़िम्मेदारी है कि वे:

- इस तरह के कपड़े पहनें जो शैक्षिक प्रक्रिया को बाधित न करें और न ही अपने या दूसरों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरे में डालें।
- हर समय जूते और शर्ट पहनें। धार्मिक कारणों को छोड़कर, सामान्य स्कूल के घंटों के दौरान टोपी और हेडवियर/साफा नहीं पहने जा सकते।

यह माना जाता है कि अलग-अलग स्कूल अपने भवन के भीतर ड्रेस कोड दिशानिर्देशों को संशोधित कर सकते हैं। ड्रेस कोड के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश विद्यार्थी पुस्तिका बनाने और स्कूल की वेबसाइटों पर प्रचारित करने के लिए निर्धारित किए गए हैं (अतिरिक्त जानकारी के लिए अध्याय 10 देखें)।

खोज और जब्ती

दार्शनिक आधार:

अमेरिकी संविधान के चौथे संशोधन द्वारा गारंटी के अनुसार विद्यार्थी अनुचित खोज और संपत्ति की जब्ती से मुक्त होंगे। यह व्यक्तिगत अधिकार दूसरों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण की रक्षा के लिए स्कूल की ज़िम्मेदारी द्वारा संतुलित है। स्कूल के अधिकारियों को व्यक्तियों या संपत्ति की तलाशी लेने का अधिकार है जब उन्हें उचित संदेह हो कि विद्यार्थी के पास ऐसी सामग्री या वस्तुएं हैं जो कानून, विद्यार्थीआचार संहिता या बोर्ड की नीतियों का उल्लंघन करती हैं। विद्यार्थी लॉकर स्कूल की संपत्तियां हैं। विद्यार्थीं के उपयोग के लिए लॉकर ऋण पर हैं, इस समझ के साथ कि स्कूल के अधिकारी किसी भी समय उनका निरीक्षण कर सकते हैं।

अधिकार -- विद्यार्थीं को:

यह अधिकार है कि उनके व्यक्तित्व और संपत्ति में गोपनीयता रहे जब तक कि प्रिंसिपल को यह विश्वास करने का उचित संदेह न हो कि विद्यार्थी आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली अनुचित, अवैध और/या खतरनाक सामग्री या सामग्री को विद्यार्थी द्वारा ले जाया जा रहा है और/याछुपाया जा रहा है।

जिम्मेदारियां -- विद्यार्थियों की ज़िम्मेदारी है कि वे:

ऐसी कोई भी सामग्री जो अनुपयुक्त, अवैध है, या जो विद्यार्थी पुस्तिका या बोर्ड की नीतियों का उल्लंघन करती है या जो शैक्षिक प्रक्रिया को बाधित कर सकती है, स्कूल की संपत्ति को ले जाना, छिपाना या लाना नहीं है।

तंबाकू/इलेक्ट्रॉनिक वाष्प अंत:श्वसन उपकरणों का उपयोग

दार्शनिक आधार:

धूम्रपान और वाष्प इनहेलेशन डिवाइस स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं और डिवाइस की प्रकृति या इसकी सामग्री के आधार पर अवैध हैं और स्कूल के वातावरण के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं।

अधिकार -- विद्यार्थियों को:

राज्य के कानून के अनुसार स्कूल परिसर में परिवेशी धुएं/वाष्प से मुक्त होने का अधिकार है।

जिम्मेदारियां -- विद्यार्थियों की ज़िम्मेदारी है कि वे:

स्कूल परिसर में या स्कूल से संबंधित कार्यों या गतिविधियों में चाहे परिसर में हो या बाहर, तंबाकू उत्पादों या ई-सिगरेट (अध्याय 10 देखें) को रखने या उपयोग करने से बचना चाहिए। इसमें तंबाकू से संबंधित उत्पाद और इनहेलेशन उपकरणों से वाष्प की खपत में इस्तेमाल होने वाले वाष्प तेल शामिल हैं।

तकनीकी संसाधन

दार्शनिक आधार:

ट्रॉय स्कूल डिस्ट्रिक्ट विद्यार्थियों और कर्मचारियों को निर्देशात्मक प्रक्रिया में उपयोग करने के लिए विभिन्न प्रकार के तकनीकी संसाधन प्रदान करता है। इन संसाधनों में शामिल हैं: डेस्कटॉप, लैपटॉप और हैंडहेल्ड कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, प्रिंटर, इंटरनेट और डिस्ट्रिक्ट इंट्रानेट एक्सेस, वीडियो/वॉयस/डेटा नेटवर्क, ऑडियो और वीडियो उपकरण, और कॉपी मशीन लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। डिस्ट्रिक्ट का लक्ष्य इन संसाधनों को सर्वोत्तम संभव कार्य के क्रम में प्रदान करके ज़िम्मेदार

संसाधन साझाकरण, नवाचार और संचार की सुविधा के माध्यम से शैक्षिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है।

अधिकार -- विद्यार्थीं को:

आवश्यक पाठ्यक्रम के भाग के रूप में प्रौद्योगिकी संसाधनों तक पहुंच करने का अधिकार है। हालांकि, स्कूल द्वारा जारी प्रौद्योगिकी का निरंतर उपयोग बिना किसी पात्रता या गारंटी के एक विशेषाधिकार है, और इस तरह की पहुंच अधीक्षक या नामिती के विवेक पर किसी भी समय रद्द की जा सकती है। विद्यार्थी अपने ग्रेड स्तर या कोर्स पाठ्यक्रम के लिए उपयुक्त डिस्ट्रिक्ट प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकते हैं बशर्ते वे डिस्ट्रिक्ट की वर्तमान प्रौद्योगिकी स्वीकार्य उपयोग नीति से सहमत हों।

जिम्मेदारियां - विद्यार्थीं की ज़िम्मेदारी है कि वे इन संसाधनों का निम्लिखित द्वारा उचित उपयोग करें:

1. कक्षा के समय के दौरान केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए स्कूल के संसाधनों का उपयोग करना।
2. कॉपीराइट कानूनों का सम्मान करना।
3. प्रौद्योगिकी संसाधनों को हटाना, संशोधित करना या नष्ट नहीं करना।
4. पासवर्ड की सुरक्षा करके व्यक्तिगत सुरक्षा बनाए रखना।
5. सिस्टम तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने या अन्य उपयोगकर्ताओं की डेटा फ़ाइलों, या निर्देशिकाओं में अतिक्रमण करने का प्रयास नहीं करना।
6. डिस्ट्रिक्ट की स्वीकार्य उपयोग नीति के सभी नियमों और शर्तों का अनुपालन।

लोकपाल

दार्शनिक आधार:

हाई स्कूल के विद्यार्थीं को इस पुस्तिका में बताए गए अधिकारों का दावा करने में सहायता करने के लिए, यहां हाई स्कूल स्तर पर लोकपाल का पद होगा।

जब हाई स्कूल का विद्यार्थी गलत व्यवहार करता है या मानता है कि उसे गैर-अनुशासनात्मक मामले के संबंध में उचित प्रक्रिया नहीं दी गई है, तो विद्यार्थी शिकायत प्रपत्र दायर किया जा सकता है (अध्याय 9 देखें)। हालांकि, औपचारिक शिकायत दर्ज करने से पहले शामिल व्यक्तियों के साथ चर्चा करने और उनकी शिकायतों को हल करने का प्रयास करने की विद्यार्थियों की ज़िम्मेदारी है। यदि विद्यार्थी चाहे तो पार्टियों के बीच एक सम्मेलन में मध्यस्थत की मदद करने के लिए सलाह के

लिए लोकपाल को बुलाया जा सकता है। लोकपाल की भागीदारी शुरू करना विद्यार्थी की ज़िम्मेदारी है। यदि औपचारिक शिकायत दर्ज करना आवश्यक हो जाता है, तो उचित प्रक्रिया का पालन करने में विद्यार्थी की सहायता के लिए लोकपाल उपलब्ध होगा।

विद्यार्थी सरकार द्वारा चुने गए तीन विद्यार्थियों और प्रिंसिपल द्वारा चुने गए तीन संकाय सदस्यों की एक समिति सालाना लोकपाल का चुनाव करेगी। एक टाई वोट की स्थिति में, विद्यार्थी सरकार के प्रायोजक को टाई-ब्रेकिंग वोट डालने की ज़िम्मेदारी दी जाएगी।

लोकपाल को स्वेच्छा से और बिना मुआवज़े के सेवा करनी चाहिए और स्कूल भवन के भीतर एक शिक्षक, परामर्शदाता या अन्य कर्मचारी होना चाहिए। यदि कोई भवन कर्मचारी लोकपाल के रूप में सेवा करने के लिए तैयार नहीं है, तो समुदाय का नागरिक या किसी अन्य भवन का स्कूल कर्मचारी इस पद को भर सकता है। लोकपाल वकील नहीं हो सकता है।

अधिकार -- विद्यार्थियों को:

1. विद्यार्थी के अनुरोध पर, विद्यार्थियों की शिकायतों पर चर्चा करने और उन्हें हल करने में मदद करने के लिए एक लोकपाल के वकील के साथ उपलब्ध कराया जाए।
2. यदि वांछित है, तो यह सुनिश्चित करने के लिए सभी सुनवाइयों में लोकपाल उपस्थित रहें कि विद्यार्थी के अधिकारों को बरकरार रखा गया है, और उचित प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है।

जिम्मेदारियां -- विद्यार्थियों की ज़िम्मेदारी है कि वे:

1. समस्या को तथ्यात्मक और ईमानदारी से लोकपाल को बताएं ताकि उचित कार्रवाई का पालन किया जा सके।
2. सुनवाई से पहले उचित प्रक्रियाओं का पालन करें और सुनवाई के दौरान त्वरित और विनम्र रहें।

शिकायतें

दार्शनिक आधार:

विद्यार्थियों को अपनी शिकायतों को व्यक्त करने और हल करने के लिए औपचारिक साधन प्रदान करने के लिए स्कूल ज़िम्मेदार हैं। शिकायत एक विद्यार्थी द्वारा एक आरोप है कि एक स्थापित स्कूल नीति या विनियम का उल्लंघन, गलत व्याख्या या असमान आवेदन किया गया है, या विद्यार्थी

को लगता है कि उसके साथ अनुचित व्यवहार किया गया है या गैर-अनुशासनात्मक मामलों में उचित प्रक्रिया से वंचित किया गया है। अनुशासनात्मक मामलों में, अपील प्रक्रिया (पृष्ठ 54) का उपयोग किया जाता है।

जब एक विद्यार्थी को लगता है कि वह पीड़ित है, जैसा कि पिछले पैरा/अनुच्छेद में वर्णित है, एक शिकायत दर्ज की जा सकती है।

अधिकार -- विद्यार्थियों को:

अपनी शिकायतों को व्यक्त करने और हल करने के लिए एक प्रक्रिया प्रदान करने का अधिकार है जो संचार की पंक्तियों, समयबद्धता और अपील की एक विधि को निर्दिष्ट करता है।

जिम्मेदारियां -- विद्यार्थियों की ज़िम्मेदारी है कि वे:

- शिकायत प्रक्रिया का उपयोग करने से पहले शामिल व्यक्तियों के साथ चर्चा करें और उनकी शिकायतों को हल करने का प्रयास करें।
- शिकायत को स्पष्ट रूप से बताएं, शिकायत के समाधान के लिए स्थापित प्रक्रिया का पालन करें और परिणामी निर्णय का पालन करें।
- विद्यार्थी सरकार के प्रतिनिधियों को शिकायत प्रक्रिया के बारे में चिंता व्यक्त करें।

अध्याय 2

विद्यालय उपस्तिथि

ट्रॉय स्कूल डिस्ट्रिक्ट में नामांकित सभी विद्यार्थी उन कक्षाओं और गतिविधियों में भाग लेंगे जिनमें उनका नामांकन किया गया है।

इसके अलावा, संशोधित स्कूल कोड (380.1561) कहता है कि "... इस राज्य में प्रत्येक माता-पिता, अभिभावक या अन्य व्यक्ति, जिसके पास छह वर्ष**की आयु से बच्चे के सोलहवें जन्मदिन** तक बच्चे का नियंत्रण और प्रभार है, उस बच्चे को पूरे स्कूल वर्ष के दौरान पब्लिक स्कूलों में भेज देगा। जिस स्कूल डिस्ट्रिक्ट में बच्चा नामांकित है, उसके द्वारा निर्धारित स्कूल वर्ष के लिए बच्चे की उपस्थिति निरंतर और लगातार होगी।"

एक विद्यार्थी को व्यक्तिगत बीमारी या परिवार में मृत्यु के लिए क्षमा किया जा सकता है। हालांकि, अन्य बहाने कभी-कभी वैध होते हैं। यदि विद्यार्थी जानता है कि वह किसी भी विस्तारित अवधि के लिए अनुपस्थित रहेगा, तो उसे कम से कम एक सप्ताह पहले कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। यदि संभव हो तो, स्कूल के समय के बाहर चिकित्सा और दंत चिकित्सा नियुक्तियां निर्धारित की जानी चाहिए।

जब कोई विद्यार्थी स्कूल से अनुपस्थित रहता है, तो उसके माता-पिता को व्यक्तिगत भवन उपस्थिति नीति और प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। हाई स्कूल स्तर पर, माता-पिता को अनुपस्थिति के दिन के चौबीस घंटे के भीतर उपस्थिति कार्यालय में कॉल करना होगा।

कोई भी अनुपस्थिति सीखने के अनुभव को प्रभावित करेगी और विद्यार्थी के अकादमिक प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है। मेकअप असाइनमेंट के लिए शिक्षकों से पूछना विद्यार्थी की ज़िम्मेदारी है।

छूटी हुई अनुपस्थिति वाले विद्यार्थी को छूटे हुए कार्य को पूरा करने और इसके लिए क्रेडिट प्राप्त करने का अधिकार है। कक्षा चर्चाओं और गतिविधियों की नकल नहीं की जा सकती। क्षमा की अनुपस्थिति के बाद मेकअप का काम तुरंत किया जाना है। विद्यार्थियों को प्रत्येक दिन अनुपस्थित

रहने के लिए काम करने के लिए एक दिन मिलेगा। इसमें टैस्ट और क्विज़ शामिल हैं। सभी आवश्यक मेकअप कार्य प्राप्त करना विद्यार्थी की ज़िम्मेदारी है। विद्यार्थी को उसकी अनुपस्थिति से पहले दिए गए असाइनमेंट विद्यार्थी के लौटने पर देय होंगे। अंकन अवधि के अंत में, यदि पर्याप्त कारण दिखाया जाता है, तो प्रिंसिपल द्वारा मेकअप का समय बढ़ाया जा सकता है।

स्कूल के दिन की शुरुआत या समाप्ति के अलावा अन्य समय में भवन में प्रवेश करते या छोड़ते समय, एक विद्यार्थी को निर्दिष्ट कार्यालय में "साइन इन" या "साइन आउट" करना होगा। वहां विद्यार्थी को अपनी कक्षा में आने के लिए प्रवेश पर्ची प्राप्त होगी यदि वह देर से पहुंचे या विद्यार्थी को साइन आउट करने पर भवन छोड़ने की अनुमति दी जाएगी।

स्कूल प्रायोजित गतिविधियों को अनुपस्थिति नहीं माना जाता है। इसमें फील्ड ट्रिप, एथलेटिक ट्रिप, काउंसलर अपॉइंटमेंट, विद्यार्थी सरकार की बैठकें आदि शामिल हैं। स्कूल द्वारा प्रायोजित गतिविधि में भाग लेने वाले विद्यार्थी से पहले सौंपा गया कार्य उस दिन के कारण होता है जब विद्यार्थी स्कूल लौटता है। स्कूल-प्रायोजित गतिविधि में अनुपस्थित रहने पर, विद्यार्थियों के पास छूटे हुए काम को पूरा करने के लिए लौटने के बाद छूटे हुए दिनों की संख्या होगी। ट्रॉय स्कूल डिस्ट्रिक्ट स्टाफ और विद्यार्थियों को एक साथ मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि छूटे हुए काम को एक उचित समय सीमा में पूरा किया गया है जो कक्षा / स्कूल से स्कूल द्वारा प्रायोजित अनुपस्थिति से संबंधित विद्यार्थी पर अनुचित बोझ नहीं डालता है। शिक्षकों को विद्यार्थियों और माता-पिता के साथ उत्पादक रूप से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विद्यार्थी का काम विद्यार्थी को अनावश्यक तनाव या नुकसान पहुंचाए बिना पूरा हो।

यदि कोई विद्यार्थी स्कूल डिस्ट्रिक्ट के बाहर किसी अन्य स्कूल में जाता है, तो उसे हाजिरी के अंतिम दिन या उससे पहले कार्यालय के माध्यम से चैक आउट/जांच करनी चाहिए।

तत्त्वविज्ञान

विद्यार्थी उपस्थिति पर डिस्ट्रिक्ट की स्थिति का उद्देश्य यह जागरूक करना है कि नियमित कक्षा में हाजिरी महत्वपूर्ण है। कक्षा में उपस्थित होने और समय पर कक्षा में हाजिर होने के लिए विद्यार्थी ज़िम्मेदार हैं। माता-पिता और स्कूल कर्मियों को नियमित कक्षा में उपस्थिति को प्रोत्साहित करना चाहिए। यह नियमित कक्षा हाजिरी और एक अकादमिक कार्यक्रम के प्रति गंभीर प्रतिबद्धता के माध्यम से है कि विद्यार्थी इष्टतम शैक्षिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

माता-पिता को नियमित रूप से ख़राब उपस्थिति पैटर्न के बारे में सूचित किया जाएगा। स्कूल विकलांग विद्यार्थियों को उस निर्देशात्मक कार्यक्रमों में निर्देशित करने के लिए जरूरत पड़ने पर परामर्श सेवाएं प्रदान करेगा जो इन विद्यार्थियों की जरूरतों और रुचियों को संबोधित करेगा। कृपया ध्यान दें कि स्कूल में उपस्थित न होने के परिणामस्वरूप लापरवाही के लिए एक रेफरल और/या स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग को उपेक्षा के लिए एक रेफरल हो सकता है।

प्रक्रियाएं - प्राथमिक और मध्य स्कूल

ट्रॉय के प्राथमिक और मध्य स्कूलों को अत्यधिक अकारण अनुपस्थिति या विलंब के रूप में विद्यार्थी की अनुपस्थिति को संबोधित करने के लिए प्रक्रियाएं विकसित करनी होंगी। विद्यार्थी के लिए संभावित अनुशासनात्मक परिणामों (पुनरुत्थान प्रथाओं, निरोध, निलंबन, आदि) को शामिल करने वाली कोई भी उपस्थिति नीतियों के बारे में प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में विद्यार्थियों और अभिभावकों को सूचित किया जाएगा।

मंदता (मिडिल स्कूल) - कक्षा की शुरुआत का संकेत देने वाली घंटी बजने पर एक विद्यार्थी को उसकी सीट पर नहीं होने पर मंद माना जाएगा। पुरानी मंदता का परिणाम माता-पिता के सम्मेलन, निरोध या निलंबन में हो सकता है। मंदबुद्धि नीति इस प्रकार है: विद्यार्थी को उनके चौथे दिन की सूचना दी जाएगी। 5वीं और 6वीं मंदता पर माता-पिता को सूचित किया जाएगा, और विद्यार्थी स्कूल से पहले या बाद में हिरासत में रहेगा। यदि कोई विद्यार्थी 7 या उसके बाद की मंदताओं तक पहुंचता है, तो स्कूल से निलंबन तक और इसमें शामिल होने तक के प्रगतिशील अनुशासन को निर्धारित करने के लिए प्रशासनिक विवेक का उपयोग किया जाएगा। मिडिल स्कूल प्रशासक एक विद्यार्थी की मंदता को कम करने वाले कारकों पर विचार कर सकते हैं जो इन प्रक्रियाओं से विचलन की गारंटी देते हैं।

प्रक्रियाएं - हाई स्कूल

स्नातक के लिए आवश्यक क्रेडिट-बेयरिंग पाठ्यक्रमों में उपस्थिति के महत्व के कारण ट्रॉय के हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए लगातार उपस्थिति प्रक्रियाएं लागू होंगी। मिशिगन राज्य मेरिट पाठ्यक्रम और ट्रॉय स्कूल डिस्ट्रिक्ट की स्नातक आवश्यकताओं को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए विद्यार्थियों से नियमित रूप से कक्षा में भाग लेने की उम्मीद की जाती है।

आलस्यता - विद्यार्थियों को नियमित रूप से कक्षा में और समय पर हाजिर होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कक्षा शुरू होने के **पांच** मिनट के अंदर आने वाले विद्यार्थियों को कक्षा में आलसी

के रूप में चिह्नित किया जाएगा। **पांच** मिनट के बाद आने वाले विद्यार्थियों को गैर-हाजिर चिन्हित किया जाएगा। विद्यार्थियों को बिना किसी दंड के प्रति माध्यमिक अंकन अवधि में प्रति कक्षा 3 टार्डीज़ दिए जाते हैं। किसी भी विशिष्ट वर्ग में बाद के टार्डीज़ निरोध के असाइनमेंट को प्रेरित करेंगे। एक ही कक्षा में चल रही आलस्यता विद्यार्थी के लिए अतिरिक्त निरोध या निलंबन जारी करने का कारण बनेगी।

गैर-हाजिरी - विद्यार्थियों को नियमित आधार पर कक्षा में उपस्थित होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। विद्यार्थियों को बिना किसी जुर्माने के प्रति सेमेस्टर प्रति कक्षा में 9 अनुपस्थितियां दी जाती हैं, जिसमें दोनों कारण और अकारण गैर-हाजिरियां शामिल हैं। इस नीति से छूट प्राप्त अनुपस्थितियां अनिवार्य अदालती उपस्थिति, पुरानी/गंभीर बीमारी, धार्मिक अवकाश, स्कूल निलंबन, पारिवारिक वियोग, स्कूल-प्रायोजित क्षेत्र यात्रा/गतिविधि, या भवन प्रशासक द्वारा अनुमोदित अन्य कारणों सहित हो सकती हैं। हाजिरी रिकॉर्ड सटीक हैं यह सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों को अपने असाइन किए गए भवन प्रशासक के साथ काम करना चाहिए। विद्यार्थी किसी भी अनुपस्थिति की प्रकृति के बारे में स्कूल के साथ संवाद करने और विशेष प्रकृति की अनुपस्थिति के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज़ प्रदान करने की ज़िम्मेदारी रखता है। इसके अलावा, स्कूल से विशेष अनुपस्थिति की पुष्टि करने वाला कोई भी दस्तावेज़ स्कूल प्रशासक को अनुपस्थिति के बाद समय पर प्रदान किया जाना चाहिए।

अनुपस्थिति को माफ़ करने के लिए, माता-पिता को अनुपस्थिति के 24 घंटों के भीतर अनुपस्थिति के बारे में स्कूल को सूचित करने के लिए उपस्थिति कार्यालय को कॉल करना होगा। पारिवारिक यात्राओं या लंबी अवधि की अनुपस्थिति को प्रत्येक स्कूल के मुख्य कार्यालय में उपलब्ध विस्तारित अनुपस्थिति फॉर्म जमा करने के एक सप्ताह पहले कार्यकाल में पहली अनुपस्थिति से पहले व्यवस्थित किया जाना चाहिए। यह विद्यार्थियों को जब संभव हो अनुपस्थिति के अग्रिम में असाइनमेंट प्राप्त करने और स्कूल से दूर किसी भी विस्तारित समय से पहले स्कूल को सूचित करने की अनुमति देगा।

विद्यार्थियों को किसी भी सेमेस्टर में 5, 7 और 9 गैर-हाजिरी बिंदु पर उनकी कक्षा उपस्थिति की स्थिति के बारे में स्वचालित रूप से सूचित किया जाएगा। हाई स्कूल द्वारा पत्र जारी किए जाएंगे जिसमें पाठ्यक्रम का नाम, अनुपस्थितियों की कुल संख्या, और प्रत्येक अनुपस्थिति के लिए कारण या अकारण के रूप में अनुपस्थिति पदनाम शामिल है।

प्रति सेमेस्टर प्रति कक्षा 10 या अधिक गैर-हाजिरी वाले विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए क्रेडिट नहीं मिलेगा। सेमेस्टर के समापन पर विद्यार्थी को पाठ्यक्रम के अंत में उत्तीर्ण होने पर

कक्षा में एक 'H' मार्क/चिन्ह (नो क्रेडिट-नो ग्रेड) प्राप्त होगा। पास नहीं होने पर विद्यार्थी को फेलिंग मार्क मिलेगा। दोनों ही मामलों में, विद्यार्थियों को कोर्स के लिए क्रेडिट अर्जित करने के लिए कोर्स को फिर से करना होगा और शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। विद्यार्थी शेष सेमेस्टर के लिए कक्षा में रहेगा। कक्षा के शेष समय के दौरान, यदि किसी विद्यार्थी की उपस्थिति में समस्या बनी रहती है या वह विघटनकारी साबित होता है, तो विद्यार्थी को आचार संहिता के अध्याय 10 में उल्लिखित प्रक्रियाओं के अनुसार अनुशासित किया जाएगा।

उपस्थिति या किसी विद्यार्थी की उपस्थिति चुनौतियों से संबंधित अन्य परिणामों के कारण क्रेडिट की हानि की अपील भवन के मुख्याध्यापक से की जा सकती है। हाजिरी/उपस्थिति के सभी मामलों में मुख्याध्यापक का निर्णय अंतिम होता है।

अध्याय 3

स्कूल बस चालकों के लिए नियम व शर्तें

विद्यार्थियों और अभिभावकों की ज़िम्मेदारी है कि वे नीचे बताए गए स्कूल बस नियमों को जानें और उनका सम्मान करें। बार-बार उल्लंघन करने पर स्कूल बस के विशेषाधिकार निलंबित कर दिए जाएंगे। विद्यार्थी के बस में सवार होने के दौरान विद्यार्थी आचार संहिता लागू है।

नियम और शर्तें:

1. स्कूल या स्कूल से, बस स्टॉप पर, या किसी सह-पाठयक्रम स्कूल द्वारा प्रायोजित गतिविधि के दौरान विद्यार्थियों का व्यवहार नियमित स्कूल दिवस की अनुशासन प्रक्रियाओं के अनुरूप होगा।
2. बस की प्रतीक्षा करते समय फुटपाथ के पीछे रहें।
3. निर्धारित स्टॉप पर बस पर चढ़ें और प्रस्थान करें।
4. बस में चढ़ने वाले व्यक्ति पहले पीछे की ओर जाएंगे।
5. गलियारों को किताबों, बैंड वाद्ययंत्रों आदि से दूर रखा जाना चाहिए।
6. शरीर के सभी अंगों को बस के अंदर रखा जाएगा।
7. बस के चलने के दौरान बैठे रहें।
8. बेवजह जोर से बोलना, गाली-गलौज और अभद्र भाषा वर्जित है।
9. सवारियां बस उपकरण के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगीं।
10. विद्यार्थी बस में भोजन नहीं करेंगे।
11. बस में या उसके पास धूम्रपान, माचिस जलाना, ई-सिगरेट आदि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी।
12. बसों में जानवरों और/या पालतू जानवरों की अनुमति नहीं है।
13. इत्र, डिओडोरेंट या हेयरस्प्रे जैसे एरोसोल उत्पादों का छिड़काव या उपयोग करना प्रतिबंधित है।

14. ऐसा कोई भी आचरण जो चालक का ध्यान उसके मुख्य काम से हटाता है और इस प्रकार अन्य सवारों की सुरक्षा को खतरे में डालता है, निषिद्ध है।
15. किसी विशेष बस को नहीं सौंपा गया विद्यार्थी पूर्व प्रशासनिक अनुमोदन के बिना बोर्ड या ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता है।

जिम्मेदारियां:

1. सुबह बस आने से पांच मिनट पहले बस स्टॉप पर पहुंचें और स्कूल से निर्धारित प्रस्थान समय पर बस में बैठ जाएं।
2. बस स्टॉप के पास निजी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं।
3. हर समय बस उपकरणों को सही ढंग से चलाएं। बस उपकरण को नुकसान पहुंचाने वाले विद्यार्थी प्रतिस्थापन और/या बहाली/मरम्मत के लिए ज़िम्मेदार होंगे।
4. अपनी बस की उपस्थिति पर गर्व करें। इसे साफ रखने में मदद करें।
5. बस चालक द्वारा किए गए उचित अनुरोधों का सकारात्मक जवाब दें।
6. इन सुरक्षा नियमों और विद्यार्थी ज़िम्मेदारियों को जानें।

अनुशासन प्रक्रिया:

पहला प्रशासनिक संपर्क (निम्न में से एक या अधिक):

1. अभिभावक सूचना
2. फटकार
3. दस स्कूल दिनों तक बस विशेषाधिकारों का निलंबन

दूसरा प्रशासनिक संपर्क (निम्नलिखित में से एक या अधिक):

1. अभिभावक सूचना
2. फटकार
3. दस स्कूल दिनों तक बस विशेषाधिकारों का निलंबन

अनुवर्ती प्रशासनिक संपर्क (निम्न में से एक या अधिक):

1. अभिभावक सूचना
2. फटकार
3. बस विशेषाधिकारों का निलंबन

बस विशेषाधिकारों के निलंबन के सभी मामलों में, माता-पिता को टेलीफोन द्वारा सूचित किया जाएगा और निलंबन की एक लिखित अधिसूचना दो स्कूल दिनों के भीतर भेजी जाएगी।

बस विशेषाधिकारों के निलंबन के दौरान, यह माता-पिता की ज़िम्मेदारी होगी कि वे विद्यार्थी को स्कूल से आने-जाने के लिए परिवहन प्रदान करें।

अध्याय 4

नियम और शर्तें
विद्यार्थी चालकों के लिए

स्कूल से आने-जाने के लिए यह विद्यार्थियों के लिए एक विशेषाधिकार माना जाता है। विद्यार्थियों और अभिभावकों की ज़िम्मेदारी है कि वे विद्यार्थी चालकों को प्रभावित करने वाले नियमों को जानें और उनका सम्मान करें। पार्किंग नियमों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। ड्राइविंग विशेषाधिकारों का निलंबन, ट्रॉय पुलिस डिपार्टमैंट के माध्यम से पार्किंग टिकट जारी करना, वाहनों की टोइंग और/या ड्राइविंग विशेषाधिकारों का निलंबन इन नियमों का उल्लंघन होने पर हो सकता है। विद्यार्थी आचार संहिता स्कूल से संबंधित गतिविधियों के दौरान प्रभावी होती है जिसमें विद्यार्थी चालक शामिल होते हैं (क्षेत्र यात्राएं, स्कूल के घंटों के दौरान आना-जाना आदि।)

वार्षिक रूप से, विद्यार्थी चालकों को वाहन पंजीकरण कार्ड पूरा करना होगा और स्कूल जाने वाले प्रत्येक वाहन के लिए शुल्क जमा करना होगा। पार्किंग टैग खरीदने के लिए विद्यार्थियों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। परिसर में पार्क किए गए सभी वाहनों के लिए वाहन पंजीकरण और बीमा का प्रमाण आवश्यक है।

नियम और शर्तें:

1. विद्यार्थियों को स्कूल जाने वाले किसी भी और सभी वाहनों को पंजीकृत करवाना होगा। प्रति वाहन पार्किंग शुल्क का आकलन किया जाएगा, और पार्किंग पहचान टैग जारी किया जाएगा। पार्किंग पहचान टैग अहस्तांतरणीय हैं। किसी भी कारण से टैग को बदलने के लिए शुल्क लिया जाएगा।
2. सभी वाहनों को स्कूल के मैदान में निर्धारित लॉट में पार्क किया जाना चाहिए और सभी कारों को उचित पहचान प्रदर्शित करनी चाहिए। पार्किंग पहचान टैग के दुरुपयोग के परिणामस्वरूप ड्राइविंग विशेषाधिकारों का नुकसान हो सकता है या अन्य अनुशासनात्मक परिणाम हो सकते हैं।

3. सभी विद्यार्थी लाइसेंस प्राप्त और बीमाकृत होने चाहिए। ट्रॉय स्कूल डिस्ट्रिक्ट वाहन या उसकी सामग्री के लिए ज़िम्मेदार नहीं है।
4. एक बार वाहन पार्क करने के बाद विद्यार्थियों को वाहन में या उसके आसपास घूमने या फिर से आने की अनुमति नहीं है।
5. स्कूल की संपत्ति पर गति पंद्रह मील प्रति घंटे से अधिक नहीं हो सकती है। किसी भी प्रकार की लापरवाही से ड्राइविंग, यानी तेज़ आवाज़ करने वाले टायर, डोनट, जंपिंग कर्ब आदि की अनुमति नहीं है।
6. किताबों या कपड़ों के लिए लॉकर के रूप में वाहनों का उपयोग नहीं किया जाता है। स्कूल प्रशासक या नामिती की लिखित अनुमति के बिना विद्यार्थी स्कूल के दिनों में पार्किंग स्थल में नहीं हो सकते हैं।
7. फुटपाथ मार्किंग के अनुसार ही वाहनों को खड़ा किया जाए।
8. विद्यार्थी दोपहर के भोजन के समय अपने वाहन में स्कूल के मैदान से बाहर नहीं जा सकते हैं। कानूनी रूप से स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थी, यानी ओटीसी, को-ऑप, अन्य विद्यार्थियों को अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं।
9. विद्यार्थी वाहनों की तलाशी ली जा सकती है यदि यह मानने के लिए उचित संदेह है कि ड्रग्स, शराब, चोरी की संपत्ति या कानून द्वारा निषिद्ध अन्य संपत्ति या यह पुस्तिका उस वाहन में मौजूद है।
10. उन सभी विद्यार्थियों के लिए बस परिवहन प्रदान किया जाता है जिनकी दोनों उच्च स्कूलों में कक्षाएं होती हैं। विद्यार्थियों को भवन प्रशासन से विशेष अनुमति के साथ कक्षाओं के लिए ट्रॉय हाई स्कूल और एथेंस हाई स्कूल के बीच ड्राइव करने की अनुमति है।
11. 1 घंटे के लिए अत्यधिक आलस्य के परिणामस्वरूप ड्राइविंग विशेषाधिकारों का नुकसान हो सकता है।
12. ड्राइविंग विशेषाधिकारों के नुकसान के दौरान पार्किंग शुल्क की कोई वापसी नहीं होगी।
13. विद्यार्थियों को स्कूल परिसर में प्रवेश और निकास के लिए यातायात प्रवाह नियमों का पालन करना चाहिए। वाहनों को निर्दिष्ट विद्यार्थी लॉट में पार्क किया जाना चाहिए जब तक कि भवन प्रशासक द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमति न दी जाए।

अनुशासन प्रक्रिया:

पहला प्रशासनिक संपर्क (निम्न में से एक या अधिक):

1. अभिभावक सूचना

2. डांटना
3. दस दिनों तक ड्राइविंग विशेषाधिकारों का निलंबन
4. व्यवहार अनुबंध
5. उपयुक्त के रूप में एक पेशेवर एजेंसी के लिए पुलिस अधिसूचना या रेफरल।
6. वापसी/बहाली जैसा लागू हो।

अनुवर्ती प्रशासनिक संपर्क (निम्न में से एक या अधिक):

1. अभिभावक सूचना
2. डांटना
3. एक वर्ष तक ड्राइविंग विशेषाधिकारों का निलंबन
4. व्यवहार अनुबंध
5. उपयुक्त के रूप में एक पेशेवर एजेंसी के लिए पुलिस अधिसूचना या रेफरल।
6. वापसी/बहाली जैसा लागू हो।

अध्याय 5

प्रौद्योगिकी

उद्देश्य

इस नीति का उद्देश्य मौजूदा और उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयुक्त उपयोग के लिए अपेक्षाओं को निर्धारित करना है जो विद्यार्थियों के पास हो सकते हैं,जिसमें सेल फोन, डिजिटल पिक्चर वीडियो कैमरा और/या कैमरा फोन, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट (पीडीए), आईपॉड, एमपी3 और डेटा या इमेज ट्रांसमिट करने में सक्षम अन्य व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। इस नीति को जानना और उसके अनुसार अपनी गतिविधियों का संचालन करना प्रत्येक विद्यार्थी की ज़िम्मेदारी है।

मिशिगन कानून (380.1303) स्थानीय स्कूल बोर्डों को सेलुलर फोन (सेल फोन) और स्कूल परिसरों में पेजर्स जैसे अन्य इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग उपकरणों के उपयोग और कब्जे पर नीति निर्धारित करने की अनुमति देता है।

TSD सेल फोन नीति विद्यार्थियों की सुरक्षा और कल्याण के विचारों को ध्यान भंग से मुक्त सीखने के माहौल को बनाए रखने की आवश्यकता के साथ प्रदान की जाती है।

जिन विद्यार्थियों के पास स्कूल या स्कूल-प्रायोजित कार्यक्रमों में ऐसे उपकरण हैं और/या उनका उपयोग करते हैं, वे शैक्षिक वातावरण और स्कूल समुदाय के भीतर सभी व्यक्तियों के अधिकारों और गोपनीयता के लिए सबसे बड़ा सम्मान प्रदर्शित करेंगे।

एक विद्यार्थी द्वारा स्कूल में लाए गए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की चोरी, हानि, क्षति या दुरुपयोग के लिए डिस्ट्रिक्ट उत्तरदायी नहीं होगा।

TSD प्रदान किए गए तकनीकी उपकरण और उपकरणों का उपयोग करने और TSD वायर्ड या वायरलेस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए, विद्यार्थियों को TSD होम वेबसाइट पेज के माध्यम से उपलब्ध डिस्ट्रिक्ट की प्रौद्योगिकी स्वीकार्य उपयोग नीति की शर्तों का पालन करना चाहिए। उस

समझौते की शर्तों का उल्लंघन करने वाले विद्यार्थियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें प्रौद्योगिकी विशेषाधिकारों की हानि भी शामिल है। डिस्ट्रिक्ट कंप्यूटर या अन्य प्रौद्योगिकी के अस्वीकृत या निषिद्ध उपयोग में शामिल हैं:

a) अन्य उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता की अवहेलना करना, जैसे कि अन्य उपयोगकर्ताओं के पासवर्ड का उपयोग करना या उनका उपयोग करने या सीखने का प्रयास करना;
b) अनधिकृत प्रतिलिपि बनाना, बदलना, पढ़ना, एक्सेस करना या अन्य उपयोगकर्ताओं की फ़ाइलों तक पहुँचने या उपयोग करने का प्रयास करना;
c) डिस्ट्रिक्ट उपकरणों, प्रणालियों, कार्यक्रमों, फाइलों या अन्य उपयोगकर्ताओं के खातों तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करना या प्राप्त करने का प्रयास करना;
d) किसी भी डिस्ट्रिक्ट के उपकरण, सिस्टम, प्रोग्राम या फाइलों में वायरस या मैलवेयर पेश करना या पेश करने का प्रयास करना;
e) दूसरों को परेशान करने या परेशान करने के लिए डिस्ट्रिक्ट उपकरण, सिस्टम प्रोग्राम या फाइलों का उपयोग करना या उनका उपयोग करने का प्रयास करना; तथा
f) किसी भी डिस्ट्रिक्ट उपकरण, सिस्टम, प्रोग्राम या फाइलों को नुकसान पहुंचाना या नुकसान पहुंचाने का प्रयास करना।
g) डिस्ट्रिक्ट प्रौद्योगिकी नियंत्रण को कम करने, डिस्ट्रिक्ट प्रौद्योगिकी कार्यक्षमता को सीमित करने या डिस्ट्रिक्ट प्रौद्योगिकी प्रणालियों को नुकसान पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया अन्य व्यवहार।

सेल फ़ोन/इलेक्ट्रॉनिक संचार, सुनने के उपकरण:

a) ट्रॉय स्कूल डिस्ट्रिक्ट पॉलिसी द्वारा स्कूल के दिनों में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक, संचार श्रवण यंत्र का दृश्य या श्रव्य रूप में पता लगाना प्रतिबंधित है। किसी भी अपवाद को विभाग या स्कूल प्रशासन द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। यदि जब्त किया जाता है, तो कार्यालय में उपकरणों को उठाया जाना चाहिए। अनुशासनात्मक उपाय इस प्रकार हैं:
पहला अपराध : जब्ती/विद्यार्थी को उठाना, सहायक मुख्याध्यापक का कार्यालय
दूसरा अपराध: जब्ती/प्रशासनिक विवेक
b) किसी भी और सभी उपकरणों का उपयोग स्कूल के उद्देश्यों के लिए होना चाहिए। TSD में ऐसी वस्तुओं के उपयोग की अनुमति विभाग या स्कूल प्रशासन द्वारा दी जानी चाहिए और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए कक्षा दर कक्षा के आधार पर अनुमोदित की जाएगी। पूर्व-अनुमोदित अवधि के बाहर वॉइस, टेक्सट, चित्र, संख्यात्मक संदेश आदि के लिए

अनधिकृत उपयोग (उक्त उपकरण का वास्तविक उपयोग) के परिणामस्वरूप स्कूल से तत्काल निलंबन और माता-पिता द्वारा डिवाइस को उठाया जाएगा।

c) आपत्तिजनक, अश्लील, गंदा या अन्यथा अवैध छवियों का फोटो खींचना, प्रसारित करना, स्थानांतरित करना या साझा करना एक अपराध हो सकता है और कानून प्रवर्तन को सूचित किया जाएगा जिसके परिणामस्वरूप यौन अपराधी रजिस्ट्रियों पर गिरफ्तारी, अभियोजन और समावेश हो सकता है।

गोपनीयता अधिकारों का सम्मान

1. विद्यार्थी अपनी जानकारी या सहमति के बिना स्कूल में या स्कूल-प्रायोजित कार्यक्रमों में अन्य व्यक्तियों की तस्वीर, ऑडियो टेप या वीडियो टेप नहीं करेंगे, केवल सार्वजनिक क्षेत्र में मानी जाने वाली गतिविधियों जैसे कि खेल आयोजनों या सार्वजनिक प्रदर्शनों में सक्रिय प्रतिभागियों को छोड़कर।
2. विद्यार्थी अपनी व्यक्त लिखित सहमति के बिना स्कूल में लिए गए अन्य व्यक्तियों की छवियों को ई-मेल, इंटरनेट पर पोस्ट या अन्यथा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसारित नहीं करेंगे।
3. लॉकर रूम और टॉयलेट में सेल्युलर फोन या अन्य व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग सख्त वर्जित है।

अध्याय 6

बदमाशी और उत्पीड़न

इस नीति का उद्देश्य एक सकारात्मक सीखने का माहौल बनाना और बनाए रखना है, और सभी विद्यार्थियों के लिए समझ और सम्मान को बढ़ावा देना है। ट्रॉय स्कूल डिस्ट्रिक्ट बदमाशी और उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेगा ट्रॉय स्कूल डिस्ट्रिक्ट का कोई भी विद्यार्थी जो मानता है कि उसे धमकाया गया है या परेशान किया गया है, उसे तुरंत अपनी शिकायत बिल्डिंग प्रिंसिपल को देनी होगी। रिपोर्ट की तत्काल जांच की जाएगी।

बदमाशी को समझना इस तथ्य से जटिल है कि युवा एक धमकाने वाला, पीड़ित या धमकाने वाला और पीड़ित दोनों हो सकता है। स्कूली बच्चों के बीच ताने मारना, चिढ़ाना और लड़ाई-झगड़ा करना बदमाशी नहीं है। धमकाने में शारीरिक या मनोवैज्ञानिक रूप से अधिक शक्तिशाली माने जाने वाले किसी व्यक्ति द्वारा बार-बार किए गए कार्य शामिल हैं। बदमाशी, आक्रामक और हिंसक व्यवहार के अन्य रूपों की तरह, एक स्कूल की अपने विद्यार्थियों को शिक्षित करने की क्षमता और एक विद्यार्थी की सीखने की क्षमता दोनों में हस्तक्षेप करती है।

परिभाषा

धमकाने का अर्थ है: साइबर धमकी सहित कोई भी लिखित, मौखिक या शारीरिक कार्य, जिसका उद्देश्य निम्न में से कोई भी कार्य करके किसी अन्य विद्यार्थी को नुकसान पहुंचाना या नुकसान पहुंचाना है:

- किसी अन्य विद्यार्थी के शैक्षिक अवसरों या लाभों में पर्याप्त रूप से हस्तक्षेप करना;
- विद्यार्थी को शारीरिक नुकसान के डर से या भावनात्मक संकट पैदा करके स्कूल में भाग लेने या लाभान्वित होने की क्षमता को प्रभावित करना;
- एक विद्यार्थी के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ना;
- जिससे स्कूल के व्यवस्थित संचालन में काफी व्यवधान उत्पन्न हो रहा है।

बदमाशी में साइबर धमकी, या किसी इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से की गई बदमाशी शामिल है। बदमाशी के प्रकारों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं लेकिन ये इन तक सीमित नहीं हैं:

- मौखिक बदमाशी, जिसमें अपमानजनक टिप्पणियां और बुरे नाम शामिल हैं।
    - शारीरिक बदमाशी जैसे मारना, लात मारना, धक्का देना और थूकना;
    - धमकाने वाले विद्यार्थियों द्वारा पैसे या अन्य चीजें ले ली या क्षतिग्रस्त कर दीं;
    - धमकाने वाले विद्यार्थियों द्वारा धमकाया जाना या काम करने के लिए मजबूर किया जाना।

- साइबरबुलिंग (सेल फोन या इंटरनेट के माध्यम से)।

साइबरबुलिंग की परिभाषा

साइबरबुलिंग किसी प्रकार की उत्पीड़न या धमकाना है (यानी, छेड़ना, झूठ बोलना, किसी का मजाक बनाना, असभ्य या मतलबी टिप्पणी करना, अफवाहें फैलाना, या धमकी या आक्रामक टिप्पणी करना) जो ई-मेल, चैट रूम, इंस्टेंट मैसेजिंग, कोई भी वेबसाइट (ब्लॉग सहित), टेक्स्ट मैसेजिंग, वीडियो, या वेबसाइटों पर पोस्ट की गई या सेल फोन के माध्यम से भेजी गई तस्वीरें के माध्यम से होती है।

साइबरबुलिंग पारंपरिक बदमाशी से अलग है।

- यह कई लोगों द्वारा (मंच के आधार पर) पहुँचा जा सकता है और स्कूल और घर दोनों में किसी भी समय हो सकता है।
- संदेशों/छवियों को व्यापक दर्शकों को बहुत जल्दी वितरित किया जा सकता है।
- साइबरबुलिंग अक्सर गुमनाम होती है, जिससे अपराधी की पहचान करना मुश्किल हो जाता है और इसलिए युवाओं को ऐसे व्यवहार में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है जो वे आमने-सामने नहीं करेंगे।
- साइबर धमकी की रिपोर्ट करने से युवा घबरा सकते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि वयस्क प्रौद्योगिकी तक उनकी पहुंच को सीमित कर देंगे।
- बाईस्टैंडर्स और साइबरबुलिंग के गवाह गुमनाम हैं, एक वेबसाइट पर हानिकारक सामग्री को देख रहे हैं, लेकिन आमने-सामने इसका सामना नहीं कर रहे हैं।

साइबरबुलिंग के प्रकार

साइबरबुलिंग के प्रकारों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं लेकिन ये इन तक सीमित नहीं हैं:

- **फ्लेमिंग**: अनुचित और/या अश्लील भाषा के साथ इलेक्ट्रॉनिक संदेशों का उपयोग करने द्वारा ऑनलाइन लड़ाई
- **उत्पीड़न**: बार-बार आपत्तिजनक, असभ्य और अपमानजनक संदेश भेजना
- **साइबर स्टाकिंग**: बार-बार ऐसे संदेश भेजना जिनमें नुकसान पहुंचाने की धमकी शामिल हो या जो अत्यधिक डराने वाले हों। अन्य ऑनलाइन गतिविधियों में शामिल होना जो किसी व्यक्ति को अपनी सुरक्षा के लिए डराता है
- **बदनामी**: किसी को ऑनलाइन नीचे रखना; किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा या दोस्ती को नुकसान पहुंचाने के लिए उसके बारे में क्रूर गपशप या अफवाहें भेजना या पोस्ट करना
- **प्रतिरूपण**: किसी और के होने का नाटक करना और ऑनलाइन सामग्री भेजना या पोस्ट करना जो उस व्यक्ति को बुरा लगता है, उस व्यक्ति को परेशानी या खतरे में डालता है, या उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा या मित्रता को नुकसान पहुंचाता है
- **आउटिंग और ट्रिकरी**: किसी की गुप्त या शर्मनाक जानकारी ऑनलाइन साझा करना; किसी को छल कर रहस्य उजागर करना या शर्मनाक जानकारी देना जिसे बाद में ऑनलाइन साझा किया जाता है
- **बहिष्करण**: किसी को जानबूझकर किसी ऑनलाइन समूह से बाहर करना, जैसे 'दोस्तों की सूची'

उत्पीड़न की परिभाषा

उत्पीड़न का आचरण मौखिक कार्यों और नाम से बुलाने सहित कई रूप ले सकता है; ग्राफिक और लिखित बयान, जिसमें सेल फोन या इंटरनेट का उपयोग शामिल हो सकता है; या अन्य आचरण जो शारीरिक रूप से खतरनाक, हानिकारक या अपमानजनक हो सकता है। उत्पीड़न एक शत्रुतापूर्ण वातावरण बनाता है जब आचरण पर्याप्त रूप से गंभीर, व्यापक या लगातार होता है ताकि किसी स्कूल द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं, गतिविधियों या अवसरों में भाग लेने या लाभ लेने के लिए विद्यार्थी की क्षमता में हस्तक्षेप हो या यह सीमित हो।

यौन उत्पीड़न एक यौन प्रकृति का अवांछित आचरण है, जिसमें अवांछित यौन प्रस्ताव, यौन पक्ष के लिए अनुरोध या यौन प्रकृति के अन्य मौखिक, अशाब्दिक या शारीरिक आचरण शामिल हो सकते हैं। यौन उत्पीड़न में अवांछित यौन इश्कबाज़ी, अग्रिम या प्रस्ताव, अनुचित यौन टिप्पणियां, यौन प्रकृति का मौखिक दुरुपयोग, यौन गतिविधियों के लिए सूक्ष्म दबाव या अनुरोध, किसी व्यक्ति का अनावश्यक स्पर्श, किसी व्यक्ति के शरीर के बारे में ग्राफिक या मौखिक टिप्पणियां, यौन प्रकृति को

छूना शामिल हैं। किसी व्यक्ति का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले यौन अपमानजनक शब्द, विद्यार्थियों को यौन आरोपित नामों से बुलाना, यौन रूप से विचारोत्तेजक वस्तुओं या चित्रों का प्रदर्शन, यौन रूप से स्पष्ट या आपत्तिजनक चुटकुले, शारीरिक हमला, या अन्यथा डराने वाला, शत्रुतापूर्ण या आक्रामक शैक्षिक सीखने का माहौल बनाना।

अध्याय 7

शारीरिक संयम और एकांत

शारीरिक दंड सहित किसी भी रूप में शारीरिक बल का प्रयोग निषिद्ध है।

एकांत और/या संयम का उपयोग केवल आपातकालीन स्थिति में किया जाएगा, और फिर, केवल मिशिगन संशोधित स्कूल कोड (MCL 380.1307) और शिक्षा बोर्ड की नीतियों के अनुसार। ट्रॉय स्कूल डिस्ट्रिक्ट में एकांत और संयम का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करेगा:

- स्कूल समुदाय की देखभाल, सुरक्षा, कल्याण और सुरक्षा और प्रत्येक विद्यार्थी की गरिमा को बढ़ावा देना।
- चुनौतीपूर्ण व्यवहारों की घटना को कम करने, एकांत और संयम के उपयोग को समाप्त करने और सभी विद्यार्थियों के लिए सार्थक शिक्षण समय बढ़ाने के लिए सक्रिय, प्रभावी, साक्ष्य- और अनुसंधान-आधारित रणनीतियों और सर्वोत्तम प्रथाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करें।
- सुनिश्चित करें कि एकांत और शारीरिक संयम का उपयोग केवल आपातकालीन स्थिति में अंतिम उपाय के रूप में किया जाता है और प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा मेहनती मूल्यांकन, निगरानी, दस्तावेजीकरण और रिपोर्टिंग के अधीन हैं।

शारीरिक संयम में शामिल नहीं है:

- लड़ाई को तोड़ने के लिए आवश्यक कार्य;
- एक विद्यार्थी से हथियार छीनने के लिए आवश्यक कार्य;
- शारीरिक हमले को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई;
- एक वयस्क द्वारा शांत या आराम करने के लिए संक्षिप्त होल्डिंग;
- एक विद्यार्थी को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में शारीरिक रूप से अनुरक्षित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम संपर्क;
- किसी ऐसे आवेगपूर्ण व्यवहार को रोकने के लिए जो विद्यार्थी की तत्काल सुरक्षा के लिए ख़तरा हो (जैसे, कार के सामने दौड़ना) एक विद्यार्थी को थोड़े समय के लिए पकड़ना।

"शारीरिक दंड" को "मारने, पैडलिंग, पिटाई, थप्पड़ मारने, या अनुशासन के साधन के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले किसी अन्य शारीरिक बल द्वारा जानबूझकर शारीरिक दर्द के रूप में परिभाषित किया गया है।" MCL 380.1312(1).

अध्याय 8

जब्त सामग्री

स्कूल या कक्षा में अनुपयुक्त समझी जाने वाली कोई भी सामग्री, आपूर्ति या अन्य वस्तुएँ स्कूल कर्मियों द्वारा ज़ब्त की जा सकती हैं।

ज़ब्त की गई वस्तुओं की वापसी व्यक्तिगत भवन प्रशासकों के निर्णय और आवश्यक होने पर कानून प्रवर्तन के संयोजन के अधीन होगी।

अध्याय 9

भेदभाव विरोधी/ यौन उत्पीड़न नीति

ट्रॉय स्कूल डिस्ट्रिक्ट गैरकानूनी भेदभाव, उत्पीड़न या धमकाने को बर्दाश्त नहीं करेगा। ट्रॉय स्कूल डिस्ट्रिक्ट का कोई भी विद्यार्थी जो मानता है कि उसके साथ भेदभाव किया गया है, लाभ से वंचित किया गया है, या लिंग के आधार पर किसी भी डिस्ट्रिक्ट शैक्षिक कार्यक्रम या गतिविधि में भाग लेने से बाहर रखा गया है (यौन उत्पीड़न सहित, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है), जाति, रंग, धर्म, राष्ट्रीय मूल, उम्र, ऊंचाई, वजन, वैवाहिक स्थिति, वंश, लिंग, यौन अभिविन्यास, लिंग पहचान या अभिव्यक्ति, या मानसिक, शारीरिक या संवेदी अक्षमता या शारीरिक विशेषता को तुरंत अपनी शिकायत की सूचना भवन के प्रिंसिपल को देनी चाहिए या सहायक/उप अधीक्षक। शिकायत की तत्काल जांच की जाएगी।

अन्य विद्यार्थियों या डिस्ट्रिक्ट के कर्मचारियों द्वारा विद्यार्थियों का यौन उत्पीड़न गैरकानूनी और सख़्त वर्जित है। इस स्कूल डिस्ट्रिक्ट की नीति है कि इस डिस्ट्रिक्ट के विद्यार्थियों, शिक्षकों या अन्य वयस्क कर्मचारियों के बीच सभी संपर्क व्यक्तिगत विद्यार्थी के प्रति सम्मान को दर्शाते हैं और एक स्थिर और सकारात्मक सीखने के माहौल के निर्माण के लिए अनुकूल होते हैं।

यौन उत्पीड़न एक यौन प्रकृति का अवांछित आचरण है, जिसमें अवांछित यौन प्रस्ताव, यौन पक्ष के लिए अनुरोध या यौन प्रकृति के अन्य मौखिक, अशाब्दिक या शारीरिक आचरण शामिल हो सकते हैं। यौन उत्पीड़न में अवांछित यौन इश्कबाज़ी, अग्रिम या प्रस्ताव, अनुचित यौन टिप्पणियां, यौन प्रकृति का मौखिक दुरुपयोग, यौन गतिविधियों के लिए सूक्ष्म दबाव या अनुरोध, किसी व्यक्ति का अनावश्यक स्पर्श, किसी व्यक्ति के शरीर के बारे में ग्राफिक या मौखिक टिप्पणियां, यौन प्रकृति को छूना शामिल हैं। किसी व्यक्ति का वर्णन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले यौन अपमानजनक शब्द, विद्यार्थियों को यौन आरोपित नाम, यौन रूप से विचारोत्तेजक वस्तुओं या चित्रों का प्रदर्शन, यौन रूप से स्पष्ट या आपत्तिजनक चुटकुले, शारीरिक हमला, या अन्यथा एक डराने वाला, शत्रुतापूर्ण या आक्रामक शैक्षिक सीखने का माहौल बनाना।

यदि किसी विद्यार्थी को इस डिस्ट्रिक्ट द्वारा नियोजित किसी वयस्क, साथी विद्यार्थी, या जनता के किसी सदस्य द्वारा किसी भी आचरण या शारीरिक संपर्क की प्रकृति के बारे में चिंता है, तो विद्यार्थी को तुरंत इस चिंता की सूचना भवन प्रशासक को देनी चाहिए, साथ ही साथ विद्यार्थी के माता-पिता या अभिभावक को भी देनी चाहिए।

विद्यार्थियों को किसी भी ऐसे आचरण या संपर्क की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जो उन्हें असहज महसूस कराता है, परेशान करता है, या एक स्थिर, सकारात्मक सीखने के माहौल के विपरीत है।

डिस्ट्रिक्ट ऐसी सभी रिपोर्टों की तुरंत जांच करेगा। यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने के लिए किसी विद्यार्थी या कर्मचारी का किसी विद्यार्थी से प्रतिशोध लेना सख़्त मना है। इस नीति के उल्लंघन में यौन उत्पीड़न या प्रतिशोध में लिप्त पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति पर उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। विद्यार्थियों के लिए, ऐसा अनुशासन मौखिक या लिखित चेतावनी से लेकर निलंबन या निष्कासन तक हो सकता है।

शर्मिंदगी से बचने और रिपोर्ट करने वाले विद्यार्थी की सुरक्षा के लिए ऐसी सभी रिपोर्टों को गोपनीय रूप से संभाला जाएगा। बाल शोषण की शिकायतों की सूचना कानून द्वारा अपेक्षित सामाजिक सेवा विभाग को दी जाएगी।

अध्याय 10

विद्यार्थी आचार संहिता का उल्लंघन

स्कूल के नियम कई स्रोतों से आते हैं, जिनमें राज्य और संघीय कानून, शिक्षा बोर्ड की नीतियां और प्रशासन दिशानिर्देश शामिल हैं। इस अध्याय का उद्देश्य स्कूल कर्मियों, अभिभावकों, विद्यार्थियों और समुदाय के अन्य सदस्यों को नियमों की स्पष्ट समझ और उन नियमों के उल्लंघन के लिए परिणामी अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रदान करना है।

यह अध्याय कुछ उल्लंघनों को सूचीबद्ध करता है, वर्गीकृत करता है और परिभाषित करता है जो स्कूल के वातावरण और/या निर्देशात्मक प्रक्रिया को बाधित करते हैं, और अनुशासनात्मक कार्रवाई को निर्दिष्ट करते हैं जो प्रिंसिपल द्वारा की जानी हैं। विद्यार्थी आचार संहिता का एक प्रमुख विचार सकारात्मक विद्यार्थी व्यवहार लाने के लिए उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाइयों की **पहचान करना है। उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई को परिभाषित करने में दुर्व्यवहार की गंभीरता और आवृत्ति पर विचार किया जाता है।**

मुख्याध्यापक सभी मामलों में परिस्थितियों के तहत उचित समझी जाने वाली जांच करेगा ताकि यह पुष्टि हो सके कि आरोपित अपराध वास्तव में किया गया है। विद्यार्थी आचार संहिता की इस तरह से व्याख्या या इसे इस प्रकार लागू नहीं किया जाएगा जिससे विद्यार्थी के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो।

प्रशासन उन परिस्थितियों के लिए उचित और वाजिब नियम और शर्तें स्थापित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जिन्हें विशेष रूप से इस पुस्तिका में शामिल नहीं किया जा सकता है। **निम्नलिखित पृष्ठों पर उल्लंघनों की सूचियां सर्व-समावेशी नहीं हैं, बल्कि केवल प्रतिनिधि और उदाहरण हैं। एक विद्यार्थी जो कदाचार का अनुचित कार्य करता है, जो विशेष रूप से सूचीबद्ध नहीं होता है, अनुशासनात्मक कार्रवाई के अधीन है। सभी मामलों में, नियम और विनियम, और संभावित परिणाम पहले से स्थापित नियमों, विनियमों और समान घटनाओं के परिणामों के साथ यथासंभव संगत होंगे। इस पुस्तिका से छोड़े गए मामलों की व्याख्या डिस्ट्रिक्ट के अधिकार के दायरे और सभी विद्यार्थियों के लिए सीखने का सुरक्षित माहौल प्रदान करने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए डिस्ट्रिक्ट की ज़िम्मेदारी पर एक सीमा के रूप में नहीं की जानी चाहिए। यह ध्यान**

दिया जाना चाहिए कि उल्लंघन संचयी हैं और संचयी उल्लंघनों के परिणाम अधिक गंभीर हो सकते हैं। उल्लंघन स्वतंत्र रूप से अनुशासित नहीं हैं। उदाहरण के लिए, स्तर I के उल्लंघन के लिए, यदि किसी विद्यार्थी को एक सप्ताह के लिए कक्षा छोडने के लिए अनुशासित किया गया था और फिर अगले सप्ताह घूमने/आवारागर्दी करने के लिए अनुशासित किया गया था, तो घूमने/ आवारागर्दी को दूसरे प्रशासनिक संपर्क के रूप में माना जा सकता है।

ये नियम और नीतियां ऐसे किसी भी विद्यार्थी पर लागू होती हैं जो स्कूल की संपत्ति पर है, जो स्कूल में या किसी स्कूल-प्रायोजित गतिविधि में उपस्थित है, चाहे वह परिसर में हो या बाहर, या जिसका आचरण किसी भी समय या स्थान पर सीधे तौर पर स्कूल, विद्यार्थियों और कर्मचारियों के संचालन, अनुशासन या सामान्य कल्याण में हस्तक्षेप करता है।

दृढ अनुशासन अभ्यास

आचार संहिता का एक प्रमुख विचार उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाइयों की पहचान करना है जो सकारात्मक विद्यार्थी व्यवहार लाएंगे। पुनर्स्थापनात्मक अनुशासन विद्यार्थी व्यवहार के नुक़सान, ज़रूरतों और कारणों पर केंद्रित है, न कि केवल नियमों को तोड़ने और सजा देने पर। पुनर्स्थापनात्मक अनुशासन विद्यार्थियों को हुए नुकसान के लिए जवाबदेह होने के साथ-साथ नुकसान को ठीक करने का अवसर प्रदान करने का प्रयास करता है। विद्यार्थियों को संघर्ष को सुलझाने और एक ऐसा वातावरण बनाए रखने में मदद करने का अधिकार है जहां स्कूल का काम हो सकता है। पुनर्स्थापनात्मक अनुशासन का लक्ष्य विद्यार्थियों को नुकसान के बारे में अलग तरह से सोचने का अवसर प्रदान करना, शांतिपूर्ण और रचनात्मक तरीकों से संघर्ष से निपटना, जवाबदेही और ज़िम्मेदारी को संबोधित करना, एक दूसरे की मानवता पर ध्यान केंद्रित करना और समुदाय और सहयोग के संदर्भ में समस्या-समाधान करना है।

आचार संहिता के विद्यार्थी उल्लंघनकर्ताओं के पास उनके अनुचित व्यवहार के परिणामस्वरूप, जैसा कि स्कूल के अधिकारियों द्वारा सुविधा प्रदान की जाती है, पुनर्स्थापनात्मक प्रथाओं में संलग्न होने का अवसर हो सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि कोई भी विद्यार्थी जो कि पुनर्स्थापनात्मक प्रथाओं में संलग्न है, किसी भी ग़लत काम को स्वतंत्र रूप से स्वीकार करता है और आहत पक्षों के लिए अपने कार्यों के लिए पश्चाताप व्यक्त करता है। आचार संहिता के उल्लंघन के जवाब में विकसित की गई पुनर्स्थापनात्मक प्रथाओं में निम्नलिखित उत्पादक गतिविधियाँ शामिल हो सकती हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

- बहाली

- स्कूल में निलंबन/निरोध सहित वैकल्पिक निलंबन
- अपराध के लिए माफ़ी (लिखित और मौखिक दोनों)
- डायवर्ज़न कार्यक्रमों में भागीदारी
- सामुदायिक सेवा गतिविधियाँ
- आउटरीच और जागरूकता गतिविधियां
- अध्ययन का पाठ्यक्रम, पुस्तक अध्ययन, या अन्य अनुप्रयुक्त शिक्षण अनुभव
- व्यवहार योजना या व्यवहार अनुबंध
- स्कूल के अंदर और बाहर काउंसलिंग में भाग लेना
- एजेंसी और सामुदायिक समर्थन में शामिल हों,
- विद्यार्थी-दर-विद्यार्थी मध्यस्थता

पुनर्स्थापनात्मक प्रथाएं केवल एक निलंबन के एवज में कम अवधि के निलंबन के पूरक के रूप में काम कर सकती हैं । सभी पुनर्स्थापनात्मक अभ्यास योजनाओं में निर्दिष्ट समाप्ति की अवधि के साथ एक समयरेखा होनी चाहिए।

जिन विद्यार्थियों ने अन्य स्कूलों में दुराचार किया है

एक अन्यथा पात्र निवासी जिस पर स्कूल के अधिकारियों द्वारा दूसरे स्कूल डिस्ट्रिक्ट में कदाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया गया है जिसके परिणामस्वरूप विद्यार्थी का निलंबन या निष्कासन होता यदि विद्यार्थी ने ट्रॉय स्कूल डिस्ट्रिक्ट में भाग लिया था, तो विद्यार्थी आचार संहिता के अनुसार ट्रॉय स्कूल डिस्ट्रिक्ट से निलंबन या निष्कासन के अधीन हो सकता है।

ज्यादातर स्थितियों में, एक स्कूल डिस्ट्रिक्ट प्रशासक विद्यार्थी आचार संहिता को लागू करने में शामिल होगा। हालांकि, एक शिक्षक राज्य के कानून के अनुसार अपने शिक्षक की कक्षा, विषय या गतिविधि से एक दिन तक के लिए एक विद्यार्थी को निलंबित कर सकता है यदि: 1) विद्यार्थी इतने अनियंत्रित, विघटनकारी या अपमानजनक व्यवहार में संलग्न है कि यह महत्वपूर्ण रूप से हस्तक्षेप करता है शिक्षक की कक्षा, विषय या गतिविधि को प्रभावी ढंग से पढ़ाने की क्षमता, या 2) विद्यार्थी का व्यवहार अन्य विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता में महत्वपूर्ण रूप से हस्तक्षेप करता है। ऐसे शिक्षक द्वारा लगाए गए निलंबन को SNAP निलंबन भी कहा जाता है। अन्य विद्यार्थी कदाचार के लिए, शिक्षक स्कूल भवन में प्रयुक्त मानक अनुशासनात्मक प्रक्रिया के अनुसार मामले को संभालेगा।

विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को अनुशासित करना

विशेष शिक्षा या धारा 504 सेवाओं के लिए पात्र या अन्यथा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का निलंबन और निष्कासन

राज्य और संघीय नियमों के तहत विशेष शिक्षा के लिए या पुनर्वास अधिनियम की धारा 504 के तहत पहले से पहचाने गए विद्यार्थी को विद्यार्थी अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं में उसकी विकलांगता पर विचार करने का अधिकार है। स्कूल कर्मियों और/या माता-पिता, जिनके पास किसी भी मुद्दे के बारे में प्रश्न हैं, को सलाह दी जाती है कि वे डिस्ट्रिक्ट विशेष शिक्षा निदेशक या धारा 504 समन्वयक से परामर्श करें।

यहां प्रयुक्त विभिन्न शब्दों की परिभाषा के लिए इस पुस्तिका के अंत में शब्दावली देखें।

निलंबन और निष्कासन की परिभाषाएं

स्टेट ऑफ मिशिगन स्कूल कोड (एमसीएल 380.1310) विशेष रूप से "निष्कासित" और "निलंबित" शब्दों को निम्नलिखित अर्थों में परिभाषित करता है: स्टेट ऑफ मिशिगन स्कूल कोड (एमसीएल 380.1310) विशेष रूप से "निष्कासित" और "निलंबित" शब्दों को निम्नलिखित अर्थों में परिभाषित करता है:

> "**निष्कासित**" का अर्थ है किसी विद्यार्थी को 60 या अधिक स्कूल दिनों की अवधि के लिए अनुशासनात्मक कारणों से स्कूल से बाहर करना।
>
> "**निलंबित**" का अर्थ है किसी विद्यार्थी को अनुशासनात्मक कारणों से 60 से कम स्कूल दिनों की अवधि के लिए स्कूल से बाहर करना।

ये परिभाषाएं पूरे आचार संहिता दस्तावेज़ में निलंबित और निष्कासित करने के संदर्भों पर लागू होंगी।

स्तर । उल्लंघन

स्तर I के उल्लंघन को कोई भी व्यवहार माना जाता है जो स्कूल के प्रभावी और सुरक्षित कामकाज में बाधा डालता है या हस्तक्षेप करता है लेकिन स्तर II या स्तर III उल्लंघन के रूप में गंभीर नहीं है।

स्तर I उल्लंघनों में निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

क्लास स्किपिंग/कटिंग और टार्डीज

कक्षा से सभी या किसी वर्ग अवधि के भाग के लिए बिना छूटी अनुपस्थिति।

विघटनकारी व्यवहार

अनुपयुक्त भाषा, हल्की गाली-गलौज, हावभाव या कार्य जो ध्यान भंग, घर्षण या गड़बड़ी पैदा करते हैं जो कर्मचारियों, विद्यार्थियों या स्कूल के प्रभावी कामकाज या सुरक्षा में हस्तक्षेप करते हैं।

स्नेह का अनुचित प्रदर्शन

शारीरिक कृत्यों के साथ-साथ संकेत और हावभाव सहित, सार्वजनिक रूप से किसी अन्य व्यक्ति के प्रति या उसके साथ अनुचित स्नेह के कृत्यों में शामिल होना या प्रदर्शन करना।

अनुपयुक्त पोशाक

जैसा कि हम अपने विद्यार्थियों को काम की दुनिया के लिए तैयार करते हैं और स्कूल के माहौल में सीखने को बढ़ावा देते हैं, विद्यार्थियों से निम्नलिखित दिशानिर्देशों के अनुपालन में कपड़े पहनने की उम्मीद की जाती है।

- किसी भी नंगे मिड्रिफ की अनुमति नहीं है। शर्ट और टॉप को जींस, पैंट, स्कर्ट या शॉर्ट्स की कमर की रेखा से मिलना चाहिए ("शीर्ष के नीचे" "नीचे के शीर्ष" के संपर्क में रहना चाहिए)।
- किसी भी बैकलेस या स्ट्रैपलेस टॉप की अनुमति नहीं है।
- किसी भी सी-थ्रू या अन्यथा प्रकट करने वाले कपड़ों की अनुमति नहीं है।
- जूते हर समय पहनने चाहिए।
- जींस, पैंट, स्कर्ट या शॉर्ट्स को पर्याप्त कवरेज प्रदान करना चाहिए और उचित लंबाई का होना चाहिए।
- टॉप और बॉटम्स को सभी अंडरगारमेंट्स को छुपाना चाहिए।
- स्कूल के वातावरण में बिना प्रिस्क्रिप्शन के धूप का चश्मा नहीं पहनना चाहिए।
- कपड़ों पर जंजीर, हथकड़ी और अन्य धातु के सामान प्रतिबंधित हैं।
- स्कूल में टोपी, बंदना, हुड और अन्य सिर ढंकने वाले कपड़े नहीं पहनने।
- कपड़ों में अनुपयुक्त नारे और/या ग्राफिक्स प्रदर्शित नहीं होने चाहिए, जिनमें आचार संहिता में निषिद्ध व्यवहार से संबंधित या दर्शाने वाले चित्र भी शामिल हैं।

प्राधिकरण के बिना स्कूल छोड़ना

ट्रॉय स्कूल डिस्ट्रिक्ट एक बंद परिसर का संचालन करता है, यानी, जिसमें सभी विद्यार्थियों को स्कूल के दिन स्कूल साइट पर रहना चाहिए, जब तक कि उपस्थिति कार्यालय या प्रिंसिपल से छुट्टी की अधिकृत अनुमति नहीं दी जाती है।

प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग

कक्षा प्रौद्योगिकी का उपयोग, व्यक्तिगत या डिस्ट्रिक्ट, शिक्षकों और प्रशासकों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। अतिरिक्त दुरुपयोग की जानकारी के लिए अध्याय 5 देखें।

सेल फोन का अनुचित उपयोग

कोई भी विद्यार्थी स्कूल के सामान्य घंटों के दौरान स्कूल की संपत्ति पर इनबाउंड/आउटबाउंड संचार क्षमताओं वाले स्मार्ट फोन, सेल्युलर फोन या अन्य उपकरणों का उपयोग या प्रदर्शन तब तक नहीं करेगा, जब तक कि शिक्षक या प्रशासक द्वारा अधिकृत नहीं किया गया हो।

मंदता

मंदता तब होती है जब कक्षा शुरू होने के समय विद्यार्थी अपनी कक्षा और/या सीटों पर नहीं होते हैं।

गैरहाजिरी

गैरहाजिरी को प्राधिकरण के बिना स्कूल से अनुपस्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है; उचित उपस्थिति चेक-इन और चेक-आउट प्रक्रियाओं का पालन करने में विफलता स्कूल में नियमित उपस्थिति और सभी कक्षाओं और निर्धारित गतिविधियों के लिए शीघ्र आगमन विद्यार्थियों और अभिभावकों दोनों की ज़िम्मेदारी है। (MCL 380.1561).

अनुशासन प्रक्रिया - स्तर I उल्लंघन

पहले और बाद के उल्लंघन: प्रशासनिक संपर्क (निम्न में से एक या अधिक):

1. अभिभावक सूचना
2. डांटना
3. कैद
4. व्यवहार अनुबंध/अनुशासनात्मक परिवीक्षा
5. निलंबन (तीन दिनों से अधिक नहीं)
6. स्कूल के दिनों के दौरान या बाद में गतिविधियों से निलंबन
7. यदि उपयुक्त हो तो किसी बाहरी एजेंसी को निर्दिष्ट करना

8. प्रशासन द्वारा निर्धारित किए अनुसार, प्रौद्योगिकी उल्लंघन के लिए - पासवर्ड और प्रौद्योगिकी विशेषाधिकारों की हानि।
9. जहां लागू हो, पुनर्स्थापनात्मक अभ्यास

स्तर I के उल्लंघन के संबंध में लगातार अवज्ञा के परिणामस्वरूप निलंबन की सिफारिश हो सकती है, शेष सेमेस्टर या स्कूल वर्ष के लिए स्कूल से हटाने की सुनवाई लंबित है।

स्तर II उल्लंघन

स्तर II उल्लंघन कोई भी व्यवहार है जो स्कूल के प्रभावी कामकाज या सीखने के माहौल में गंभीर रूप से बाधित या हस्तक्षेप करता है लेकिन स्तर III उल्लंघन के रूप में गंभीर नहीं है।

स्तर II के उल्लंघनों में निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

शैक्षणिक कदाचार

इसमें व्यक्तिगत लाभ के लिए कक्षा कार्य, गृहकार्य, परीक्षण आदि की नकल करना या आपूर्ति करना, या शिक्षक की फाइल, कागज या इलेक्ट्रॉनिक में जाने या शिक्षक की डेस्क के माध्यम से देखने जैसे व्यवहार के माध्यम से सामग्री तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करना शामिल है।

हमला या बैटरी/धमकाना/उकसाना

किसी हथियार के बिना, शारीरिक संपर्क के साथ या बिना चोट के, या हिंसा के कृत्यों को बढ़ावा देने या प्रोत्साहित करने के कार्य के बिना किसी अन्य को नुकसान पहुंचाने की धमकी या प्रयास। विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे एक-दूसरे के साथ सम्मानजनक व्यवहार करें। किसी भी प्रकार की मौखिक गाली में शामिल होना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक विद्यार्थी मौखिक रूप से, लिखित रूप में, या अन्य विद्यार्थियों को इशारों से कष्टप्रद उपद्रव, अश्लील और/या अश्लील संचार नहीं करेगा।

धमकाना/कंप्यूटर द्वारा परेशान करना

विस्तृत जानकारी के लिए अध्याय 6 देखें।

शैक्षिक प्रक्रिया में व्यवधान

इसमें ऐसा व्यवहार शामिल है जो स्कूल की किसी भी गतिविधि या स्कूल के व्यवस्थित और सुरक्षित संचालन को गंभीर रूप से बाधित करता है, जबकि निम्नलिखित कृत्यों का उद्देश्य अनन्य नहीं है, वे

नियम के भीतर शामिल अपराधों के प्रकारों का वर्णन करते हैं, हालांकि, कोई भी आचरण जो व्यवधान का कारण बनता है, या हस्तक्षेप करता है शिक्षा प्रक्रिया के साथ निषिद्ध है, (अर्थात दौड़ना, कूदना, घुड़दौड़ जिसमें चिल्लाना, चिल्लाना, चीखना शामिल है, किसी अन्य विद्यार्थी को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने के इरादे से या उसके बिना शामिल करना।

लड़ाई

दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच आक्रामक शारीरिक संपर्क।

ज्वलनशील पदार्थ - उपयोग या कब्जा

विस्फोटक या ज्वलनशील सामग्री से बने उपकरणों का उपयोग या कब्जा (आतिशबाजी में राज्य के कानून द्वारा पहचाने गए वर्ग बी और कक्षा सी आतिशबाजी शामिल हैं)।

जालसाजी/झूठी जानकारी देना या झूठ बोलना

स्कूल डिस्ट्रिक्ट कर्मियों को दी गई जानकारी को झूठ बोलना और/या जानबूझकर ग़लत तरीके से प्रस्तुत करना।

जुआ

पैसे के लिए मौके के खेल में भागीदारी या संगठन, मूल्य की अन्य चीजें और/या अनुचित आचरण।

उत्पीड़न

मौखिक कृत्यों और नाम-पुकार; ग्राफिक और लिखित बयान, जिसमें सेल फोन या इंटरनेट का उपयोग शामिल हो सकता है; या अन्य आचरण जो शारीरिक रूप से खतरनाक, हानिकारक या अपमानजनक हो सकता है। नस्ल, रंग, राष्ट्रीय मूल, लिंग या विकलांगता के आधार पर उत्पीड़न भी पीड़ितों के नागरिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

प्रौद्योगिकी संसाधन का अनुचित उपयोग

अवैध, अनुचित या अश्लील उद्देश्यों के लिए इस गाइड में परिभाषित स्कूल प्रौद्योगिकी संसाधनों का उपयोग करने वाले विद्यार्थी; पासवर्ड का साझा या अनधिकृत उपयोग, एक्सेस करना, नियंत्रित करना या अक्षम करना, तोड़फोड़ करना या डिस्ट्रिक्ट या किसी तीसरे पक्ष की सेवाओं या सेवाओं का दुरुपयोग करना या अन्यथा विद्यार्थी स्वीकार्य उपयोग नीति का उल्लंघन करना। अतिरिक्त जानकारी के लिए अध्याय 5 देखें।

अवज्ञा

उचित अनुरोध या निर्देश का पालन करने के लिए मौखिक या गैर-मौखिक इनकार। इसमें एक निर्दिष्ट अनुशासनात्मक कार्रवाई को पूरा करने में विफल होना शामिल है।

आवारागर्दी करना

एक अनधिकृत स्थान पर होने का कार्य, स्कूल की संपत्ति में या उसके बारे में, या स्कूल कर्मियों द्वारा ऐसा करने का निर्देश दिए जाने पर जाने से इनकार करनाएक वैध उद्देश्य या प्रशासन की पूर्व अनुमति के बिना अंतिम बर्खास्तगी के बाद 30 मिनट से अधिक समय तक स्टाफ पर्यवेक्षण के बिना स्कूल की संपत्ति पर शेष या लेटने वाले विद्यार्थी को घूमने वाला माना जाता है। उल्लंघन के परिणामस्वरूप अतिचार के आरोप और या स्कूल अनुशासन हो सकता है।

सेक्सटिंग

किसी अन्य व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजने या यौन रूप से स्पष्ट पाठ संदेश, तस्वीरें, ग्राफिक चित्र और/या वीडियो प्राप्त करने का कार्य। "सेक्सटिंग" न केवल एक अनुचित और निषिद्ध व्यवहार है; यह कई राज्य और स्थानीय कानूनों का भी उल्लंघन करता है।

विद्यार्थियों और उनके माता-पिता को अश्लील और/या स्पष्ट यौन सामग्री रखने, उत्पादन करने और प्रसारित करने के संभावित आपराधिक परिणामों और दंड के बारे में पता होना चाहिए। उल्लंघन में गुंडागर्दी के आरोप लग सकते हैं और युवाओं को यौन अपराधी के रूप में लेबल किया जा सकता है। माता-पिता और विद्यार्थियों को यह समझना चाहिए कि एक बार किसी वीडियो की तस्वीर इंटरनेट पर आने के बाद, इसे हजारों बार नहीं तो सैकड़ों बार कॉपी किया जा सकता है।

सेक्सटिंग में शामिल सभी विद्यार्थियों को पुलिस और/या अन्य उपयुक्त एजेंसियों के पास भेजा जाएगा।

तंबाकू उत्पादों, ई-सिगरेट, इलेक्ट्रॉनिक वाष्प इनहेलेशन डिवाइस और तेल, और/या ड्रग सामग्री के कब्जे का धूम्रपान, कब्ज़ा या उपयोग

किसी भी तंबाकू उत्पादों को रखना, रखना, धूम्रपान करना, बिक्री या हस्तांतरण या तंबाकू उत्पादों (यानी, सिगार, पाइप, सिगरेट, सूंघना या चबाने वाला तंबाकू) या ई-सिगरेट का कोई अन्य उपयोग या कब्ज़ा करना प्रतिबंधित है।

ई-सिगरेट और वेपर इनहेलेशन डिवाइस में कोई भी और सभी मनोरंजक इनहेलेशन डिवाइस शामिल होंगे, जिनमें ब्रांड *V2, Juul, E-Kit, Halo, Aspire* और *Mig* शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। ज्यादातर सभी इलेक्ट्रॉनिक वाष्प साँस लेने वाले उपकरणों में एक बैटर, एटमाइज़र और ई-तरल (रस या तेल) शामिल हैं। केवल ई-तरल सहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अलग-अलग हिस्से नहीं होंगे और वे भी प्रतिबंधित हैं।

नशीली दवाओं के सामान, जैसे, बॉन्ग, पाइप आदि का कब्ज़ा प्रतिबंधित है।

दूसरों की संपत्ति की चोरी, कब्जा या हस्तांतरण *(मूल्य 100* डॉलर से कम*)*

मालिक (या कॉपीराइट धारक) की सहमति के बिना किसी अन्य, यानी एक विद्यार्थी, वयस्क या स्कूल की संपत्ति को कब्जे में लेने या स्थानांतरित करने का कार्य, जब संपत्ति $ 100 से कम मूल्य की हो।

अनधिकार

वैध कारण या अधिकृत अनुमति के बिना स्कूल की इमारत में या उसके आसपास होने का कार्य (इसमें निलंबित विद्यार्थी शामिल हैं)।

बर्बरता *($ 100* के तहत मूल्य*)*

स्कूल की संपत्ति या दूसरों की संपत्ति को जानबूझकर या लापरवाही से नष्ट करना, खराब करना या नुकसान पहुंचाना।

अश्लीलता/अभद्रता

लिखित या बोली जाने वाली भाषा, सांकेतिक भाषा, हावभाव, परिधान, या कार्य आदि, जो आपत्तिजनक, अश्लील या अभद्र हैं।

अनुशासन प्रक्रिया - स्तर II उल्लंघन

पहला अपराध: प्रशासनिक संपर्क (निम्न में से एक या अधिक):

1. अभिभावक सूचना
2. डांटना

3. अधिकतम पांच दिन का निलंबन
4. व्यवहार अनुबंध/अनुशासनात्मक परिवीक्षा
5. पुलिस अधिसूचना या किसी पेशेवर एजेंसी को रेफ़रल
6. बहाली/पुनः स्थापना
7. प्रौद्योगिकी - एक सेमेस्टर के लिए पासवर्ड/प्रौद्योगिकी विशेषाधिकारों की हानि
8. जहां लागू हो, पुनर्स्थापनात्मक अभ्यास

दूसरा प्रशासनिक संपर्क (निम्नलिखित में से एक या अधिक):

1. अभिभावक सूचना
2. डांटना
3. अधिकतम सात दिन का निलंबन
4. व्यवहार अनुबंध/अनुशासनात्मक परिवीक्षा
5. पुलिस अधिसूचना या उपयुक्त के रूप में एक पेशेवर एजेंसी के लिए रेफरल
6. बहाली/पुनः स्थापना जैसा लागू हो
7. प्रौद्योगिकी - स्कूल वर्ष के लिए पासवर्ड/प्रौद्योगिकी विशेषाधिकारों की हानि
8. जहां लागू हो, पुनर्स्थापनात्मक अभ्यास

बाद के प्रशासनिक संपर्क (निम्न में से एक या अधिक):

1. अभिभावक सूचना
2. डांटना
3. निलंबन पर सुनवाई लंबित
4. दस दिन का निलंबन या शेष स्कूल के लिए स्कूल से निष्कासन हाँ
5. पुलिस अधिसूचना या उपयुक्त के रूप में एक पेशेवर एजेंसी के लिए रेफरल
6. निष्कासन की अनुशंसा
7. बहाली/पुनः स्थापना जैसा लागू हो
8. प्रौद्योगिकी - प्रौद्योगिकी विशेषाधिकारों का स्थायी नुकसान
9. जहां लागू हो, पुनर्स्थापनात्मक अभ्यास

स्तर II के उल्लंघन के संबंध में लगातार अवज्ञा के परिणामस्वरूप निलंबन की सिफारिश की जाएगी, शेष सेमेस्टर या स्कूल वर्ष के लिए स्कूल से हटाने के लिए सुनवाई लंबित होगी।

स्तर III उल्लंघन

स्तर III के उल्लंघन को गंभीर प्रकृति का कोई भी व्यवहार माना जाता है, जिसमें स्तर I या स्तर II अधिक गंभीर प्रकृति का उल्लंघन शामिल है, जो स्कूल के प्रभावी और सुरक्षित कामकाज में गंभीर रूप से बाधित या हस्तक्षेप करता है।

स्तर III के उल्लंघनों में निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

गंभीर आक्रमण और बैटरी

पीड़ित को मारना या ग़ैरकानूनी तरीके से छूना: 1) बिना हथियार और चोट पहुंचाए; 2) एक हथियार या हथियार के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली अन्य वस्तु के साथ; या 3) एक हथियार का उपयोग करने का प्रयास।

आगजनी

अनधिकृत आग, धुएं या विस्फोटकों का उपयोग करने वाला कोई भी कार्य जो जीवन या संपत्ति के लिए ख़तरे का जोखिम प्रस्तुत करता है।

तोड़ना और प्रवेश करना

ऐसा करने के अधिकार के बिना किसी स्कूल भवन, सुविधा, कार्यालय, कमरे, भंडारण स्थान या अन्य बाड़े में सेंध लगाना और/या उसमें प्रवेश करना।

बदमाशी / साइबरबुलिंग *(अध्याय 6 का संदर्भ लें)*

धमकाने का अर्थ है: साइबर धमकी सहित कोई भी लिखित, मौखिक या शारीरिक कार्य, जिसका उद्देश्य निम्न में से कोई भी कार्य करके किसी अन्य विद्यार्थी को नुकसान पहुंचाना या नुकसान पहुंचाना है:

- किसी अन्य विद्यार्थी के शैक्षिक अवसरों या लाभों में पर्याप्त रूप से हस्तक्षेप करना;
- विद्यार्थी को शारीरिक नुकसान के डर से या भावनात्मक संकट पैदा करके स्कूल में भाग लेने या लाभान्वित होने की क्षमता को प्रभावित करना;
- एक विद्यार्थी के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ना;

  स्कूल के सुचारू संचालन में भारी व्यवधान उत्पन्न होना।

साइबरबुलिंग किसी भी प्रकार की बदमाशी (यानी छेड़ना, झूठ बोलना, किसी का मजाक बनाना, असभ्य या मतलबी टिप्पणी करना, अफवाहें फैलाना या धमकी या आक्रामक टिप्पणी करना) है जो ई-मेल, चैट रूम, इंस्टेंट मैसेजिंग, किसी भी वेबसाइट(ब्लॉग सहित), टेक्स्ट मैसेजिंग, या वेबसाइटों पर पोस्ट किए गए या सेल फोन के माध्यम से भेजे गए वीडियो, या चित्रों के माध्यम से होती है।

स्कूल के घंटों के दौरान या स्कूल की संपत्ति पर होने वाली साइबर धमकी ट्रॉय स्कूल डिस्ट्रिक्ट द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई के अधीन है (अध्याय 6 देखें)। इसके अलावा, स्कूल के घंटों के बाहर या स्कूल की संपत्ति के बाहर शुरू की गई साइबर धमकी जो शैक्षणिक और पाठ्येतर सीखने के वातावरण में एक सामग्री व्यवधान का कारण बनती है, जिसके परिणामस्वरूप अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है और स्थानीय पुलिस अधिकारियों को संदर्भित किया जा सकता है।

झूठा अलार्म, बम की धमकी, या किसी के साथ छेड़छाड़. अग्नि सुरक्षा उपकरण *(इसमें "911" कॉल शामिल हैं)*

झूठे अलार्म को बंद करने, बम की धमकी देने या लिखने या किसी अग्नि सुरक्षा उपकरण के साथ छेड़छाड़ करने का इच्छानुसार या जानबूझकर किया गया कार्य।

आपराधिक हमला

शारीरिक क्षति पहुँचाने या ऐसा करने का प्रयास करने के आशय से किसी हथियार से प्रहार करना।

लड़ाई

दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच आक्रामक शारीरिक संपर्क।

उत्पीड़न

उत्पीड़न का आचरण मौखिक कृत्यों और नाम-पुकार सहित कई रूप ले सकता है; ग्राफिक और लिखित बयान, जिसमें सेल फोन या इंटरनेट का उपयोग शामिल हो सकता है; या अन्य आचरण जो शारीरिक रूप से खतरनाक, हानिकारक या अपमानजनक हो सकता है।

प्रौद्योगिकी संसाधन का अनुचित उपयोग

इस गाइड में परिभाषित तकनीकी संसाधनों का उपयोग अत्यधिक अवैध, अनुचित, या अश्लील उद्देश्यों के लिए या अन्यथा विद्यार्थी स्वीकार्य उपयोग नीति के उल्लंघन में करना।

हथियार या खतरनाक उपकरण का कब्ज़ा या छुपाना

किसी भी प्रकार के हथियार या खतरनाक उपकरण, उपकरण, सामग्री, चाकू, बंदूक, धातु के पोर, उपकरण, गदा, काली मिर्च गैस, आदि या किसी अन्य वस्तु को हथियार के रूप में रखना या छिपाना। इसमें एक जैसे दिखने वाले हथियार भी शामिल हैं।

डकैती या जबरन वसूली

बल या जबरदस्ती की धमकी के बल पर दूसरे से धन, सामान, सेवाएं या जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करने का कार्य।

चोरी, कब्जा, या दूसरों की संपत्ति का हस्तांतरण *(मूल्य $100 या अधिक)*

मालिक (या कॉपीराइट धारक) की सहमति के बिना किसी अन्य की संपत्ति को कब्जे में लेने या स्थानांतरित करने का कार्य, जब संपत्ति $ 100 या उससे अधिक की हो।

ड्रग्स या अल्कोहल के प्रभाव में उपयोग, कब्ज़ा, बिक्री, वितरण या प्रभाव**

किसी व्यक्ति पर या किसी के सामान के बीच, या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बिक्री, वितरण या अवैध पदार्थों का उपयोग, जिसमें शराब, और मारिजुआना, और कानून द्वारा परिभाषित नियंत्रित पदार्थ, या नकल (नकली) नियंत्रित पदार्थ शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है पदार्थ जो विशेष रूप से एक चिकित्सक द्वारा विद्यार्थी के लिए निर्धारित नहीं किए गए हैं।

बर्बरता *($ 100* से अधिक मूल्य*)*

जानबूझकर या लापरवाही से विनाश, संपत्ति को नुकसान पहुँचाना या खराब करना, यानी, विद्यार्थी, वयस्क, या स्कूल।

अनुशासन प्रक्रिया - स्तर III उल्लंघन

पहला और बाद का प्रशासनिक संपर्क:

1. अभिभावक सूचना
2. निलंबन पर सुनवाई लंबित
3. व्यवहार अनुबंध/अनुशासनात्मक अनुबंध (वैकल्पिक)
4. उपयुक्त नीति एजेंसी के पास उपयुक्त रिपोर्ट या शिकायत दर्ज करें
5. वापसी/बहाली (यदि लागू हो)

6. कम से कम दस दिनों के लिए स्कूल से हटाने की सिफारिश, शेष स्कूल वर्ष (यदि उपयुक्त हो), या निष्कासन की सिफारिश (यदि उपयुक्त हो)
7. प्रौद्योगिकी - विशेषाधिकारों का स्थायी नुकसान।
8. जहां लागू हो, पुनर्स्थापनात्मक अभ्यास

** अवैध पदार्थ रखने या उपयोग करने वाली स्थितियों में, प्रशासकों के पास विद्यार्थी द्वारा अवैध पदार्थ रोकथाम शैक्षिक कार्यक्रम और/या एक समुदाय प्रायोजित आपराधिक मोड़ कार्यक्रम को पूरा करने की आवश्यकता के द्वारा एक विद्यार्थी के पहले अपराध के लिए निलंबन की अवधि को कम करने के लिए अक्षांश है। ऐसे मामलों में, प्रशासक पूरक शैक्षिक और भागीदारी आवश्यकताओं और पूरा होने की समय-सीमा की रूपरेखा तैयार करने के लिए विद्यार्थियों और अभिभावकों के साथ मिलकर काम करेंगे।

वैधानिक उल्लंघन

संशोधित स्कूल कोड निम्नलिखित अपराधों के लिए एक विद्यार्थी के निलंबन या निष्कासन का प्रावधान करता है; हालांकि, स्कूल की संपत्ति पर, स्कूल के वाहन में, या स्कूल से संबंधित गतिविधि में हथियार रखने को छोड़कर सभी अपराधों के लिए, निर्णय निर्माता को पहले यह निर्धारित करने के लिए 7 कारकों पर विचार करना चाहिए कि निलंबन या निष्कासन उचित है या नहीं।

अपराध

1. आगजनी (MCL 380.1311(2))

यदि कोई विद्यार्थी स्कूल की इमारत में या स्कूल के मैदान में आगजनी करता है, तो संशोधित स्कूल कोड, MCL 380.1311(6) के अनुसार संभावित बहाली के अधीन, विद्यार्थी को स्थायी रूप से निष्कासित कर दिया जाएगा।

किसी विद्यार्थी को आगजनी के लिए निलंबित या निष्कासित करने से पहले, नीचे चर्चा किए गए 7 पुनर्स्थापनात्मक न्याय कारकों पर विचार किया जाना चाहिए।

2. आपराधिक यौन आचरण (MCL 380.1311(2))

यदि कोई विद्यार्थी MCL 380.1311(2) के उल्लंघन करते हुए स्कूल की इमारत में या स्कूल के मैदान में आपराधिक यौन आचरण करता है, तो संशोधित स्कूल कोड, एमसीएल

380.1311(6) के अनुसार संभावित बहाली के अधीन, विद्यार्थी को स्थायी रूप से निष्कासित कर दिया जाएगा।

आपराधिक यौन आचरण के लिए एक विद्यार्थी को निलंबित या निष्कासित करने से पहले, नीचे चर्चा किए गए 7 पुनर्स्थापनात्मक न्याय कारकों पर विचार किया जाना चाहिए।

3. **बन्दूक के अलावा ख़तरनाक हथियार** का कब्ज़ा **(एमसीएल 380.1311(2))**

यदि किसी विद्यार्थी के पास हथियार मुक्त स्कूल क्षेत्र में बन्दूक के अलावा कोई ख़तरनाक हथियार है, तो संशोधित स्कूल कोड, MCL 380.1311(6) के अनुसार संभावित बहाली के अधीन, विद्यार्थी को स्थायी रूप से निष्कासित कर दिया जाएगा।

एक बन्दूक के अलावा एक खतरनाक हथियार रखने के लिए एक विद्यार्थी को निलंबित या निष्कासित करने से पहले, नीचे चर्चा किए गए 7 पुनर्स्थापनात्मक न्याय कारकों पर विचार किया जाना चाहिए।

7 पुनर्स्थापनात्मक न्याय कारकों पर विचार करने के अलावा, निष्कासन अनिवार्य नहीं है यदि विद्यार्थी निम्नलिखित में से कम से कम 1 को स्पष्ट और ठोस तरीके से स्थापित करता है:

(a) विद्यार्थी के पास मौजूद वस्तु या उपकरण एक हथियार के रूप में उपयोग करने के लिए नहीं था, या किसी अन्य व्यक्ति को हथियार के रूप में उपयोग करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वितरण के लिए नहीं था।

(b) हथियार जानबूझकर शिष्य के पास नहीं था।

(c) विद्यार्थी को यह पता नहीं था या उसके पास यह जानने का कारण नहीं था कि उसके पास मौजूद वस्तु या उपकरण एक ख़तरनाक हथियार है।

(d) हथियार स्कूल या पुलिस अधिकारियों के सुझाव, अनुरोध या निर्देश पर या स्पष्ट अनुमति के साथ विद्यार्थी के पास था।

खंडन योग्य धारणा है कि एक ख़तरनाक हथियार के कब्जे के लिए निष्कासन उचित नहीं है यदि कोई विद्यार्थी उपरोक्त (a) से (d) में सूचीबद्ध कारकों में से 1 को स्थापित करता है और विद्यार्थी का निलंबन या निष्कासन का कोई इतिहास नहीं है।

"ख़तरनाक हथियार" में खंजर, डर्क स्टिलेट्टो, 3 इंच से अधिक लंबे ब्लेड वाला चाकू, यांत्रिक उपकरण द्वारा खोला गया पॉकेट चाकू, लोहे की पट्टी या पीतल के पोर शामिल हैं। MCL 380.1313(4)।

"हथियार मुक्त स्कूल क्षेत्र" का अर्थ है स्कूल की संपत्ति और स्कूल द्वारा विद्यार्थियों को स्कूल की संपत्ति से या उससे ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन। MCL 750.237a(6)(e)।

4. **बन्दूक रखना (MCL 380.1311(2))**

यदि किसी विद्यार्थी के पास हथियार मुक्त स्कूल क्षेत्र में बन्दूक/ अग्नि अस्त्र के अलावा कोई खतरनाक हथियार है, तो संशोधित स्कूल कोड, MCL 380.1311(6) के अनुसार संभावित बहाली के अधीन, विद्यार्थी को स्थायी रूप से निष्कासित कर दिया जाएगा।

किसी विद्यार्थी को बन्दूक रखने के लिए निलंबित या निष्कासित करने से पहले नीचे चर्चा किए गए 7 पुनर्स्थापनात्मक न्याय कारकों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। हालाँकि, निष्कासन अनिवार्य नहीं है यदि विद्यार्थी निम्नलिखित में से कम से कम 1 को स्पष्ट और आश्वस्त तरीके से स्थापित करता है:

(a) शिष्य के पास मौजूद वस्तु या उपकरण एक हथियार के रूप में उपयोग करने के लिए, या किसी अन्य व्यक्ति को हथियार के रूप में उपयोग करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वितरण के लिए शिष्य के पास नहीं था।

(b) हथियार जानबूझकर शिष्य के पास नहीं था।

(c) शिष्य को यह पता नहीं था या उसके पास यह जानने का कारण नहीं था कि शिष्य के पास मौजूद वस्तु या उपकरण एक खतरनाक हथियार है।

(d) हथियार विद्यार्थी के पास स्कूल या पुलिस अधिकारियों के सुझाव, अनुरोध या निर्देश पर या स्पष्ट अनुमति के साथ था।

खंडन योग्य धारणा है कि यदि कोई विद्यार्थी उपरोक्त (a) से (d) में सूचीबद्ध कारकों में से 1 को स्थापित करता है और विद्यार्थी के निलंबन या निष्कासन का कोई इतिहास नहीं है, तो एक बन्दूक के कब्जे के लिए निष्कासन उचित नहीं है।

"अग्नि अस्त्र" का अर्थ है "(A) कोई भी हथियार (स्टार्टर गन सहित) जो एक विस्फोटक की कार्रवाई से एक प्रक्षेप्य को निष्कासित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है या आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है; (B) ऐसे किसी भी हथियार का फ्रेम या रिसीवर; (C) कोई बन्दूक मफलर या बन्दूक साइलेंसर; या (D) कोई विनाशकारी उपकरण।" 18 यूएससी 921 का हवाला देते हुए MCL 380.1311(12)(d) देखें।

"हथियार मुक्त स्कूल क्षेत्र" का अर्थ है स्कूल की संपत्ति और स्कूल द्वारा विद्यार्थियों को स्कूल की संपत्ति से या उससे ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन। MCL 750.237a(6)(e)।

5. **एक स्कूल कर्मचारी, स्वयंसेवी, या ठेकेदार के खिलाफ शारीरिक हमला (MCL 380.1311a(1))**

यदि कक्षा 6 या उससे ऊपर का विद्यार्थी स्कूल के कर्मचारी, स्वयंसेवक, या ठेकेदार के खिलाफ स्कूल की संपत्ति पर, स्कूल वाहन में, या स्कूल से संबंधित गतिविधि में शारीरिक हमला करता है और शारीरिक हमले की सूचना स्कूल बोर्ड, अधीक्षक को दी जाती है या बिल्डिंग प्रिंसिपल, तो विद्यार्थी को 180 दिनों तक के लिए निलंबित या निष्कासित कर दिया जाएगा।

किसी अन्य विद्यार्थी के खिलाफ शारीरिक हमले के लिए एक विद्यार्थी को निलंबित या निष्कासित करने से पहले, नीचे चर्चा किए गए 7 पुनर्स्थापनात्मक न्याय कारकों पर विचार किया जाना चाहिए।

शारीरिक हमले का अर्थ है बल या हिंसा के माध्यम से जानबूझकर दूसरे को शारीरिक नुकसान पहुंचाना या करने का प्रयास करना। MCL 380.1311a(12)(b)।

6. अन्य विद्यार्थी के खिलाफ शारीरिक हमला (MCL 380.1310)

यदि कक्षा 6 या उससे ऊपर का कोई विद्यार्थी स्कूल की संपत्ति पर, स्कूल वाहन में या स्कूल से संबंधित गतिविधि में किसी अन्य विद्यार्थी के खिलाफ शारीरिक हमला करता है और शारीरिक

हमले की सूचना स्कूल बोर्ड, अधीक्षक या भवन प्राचार्य को दी जाती है, तो विद्यार्थी को 180 दिनों तक के लिए निलंबित या निष्कासित किया जा सकता है।

किसी अन्य विद्यार्थी के खिलाफ शारीरिक हमले के लिए एक विद्यार्थी को निलंबित या निष्कासित करने से पहले, नीचे चर्चा किए गए 7 पुनर्स्थापनात्मक न्याय कारकों पर विचार किया जाना चाहिए।

शारीरिक हमले का अर्थ है बल या हिंसा के माध्यम से जानबूझकर दूसरे को शारीरिक नुकसान पहुंचाना या ऐसा करने का प्रयास करना।

7. **बम की धमकी या इसी तरह की अन्य धमकी**

यदि कक्षा 6 या उससे ऊपर का कोई विद्यार्थी किसी स्कूल की इमारत, अन्य स्कूल की संपत्ति, या स्कूल से संबंधित किसी कार्यक्रम में बम की धमकी या इसी तरह की धमकी देता है, तो विद्यार्थी को स्कूल बोर्ड या उसके नामिती के विवेक में निर्धारित समय के लिए निलंबित या निष्कासित कर दिया जाएगा।

स्कूल की इमारत, स्कूल की संपत्ति, या स्कूल से संबंधित घटना में बम या इसी तरह की धमकी देने के लिए एक विद्यार्थी को निलंबित या निष्कासित करने से पहले, नीचे चर्चा की गई 7 पुनर्स्थापनात्मक न्याय कारकों पर विचार किया जाना चाहिए।

पुनर्स्थापनात्मक न्याय कारक

MCL 380.1310d(1) के अनुसार, ऊपर 1, 2, 3, 4, 6, या 7 के अपराधों के लिए किसी विद्यार्थी को निलंबित या निष्कासित करने से पहले, स्कूल बोर्ड, अधीक्षक, मुख्याध्यापक, या अन्य निर्णयकर्ता निम्नलिखित कारकों पर विचार करेंगे:

1. विद्यार्थी की उम्र;
2. विद्यार्थी का अनुशासनात्मक इतिहास;
3. क्या विद्यार्थी विकलांग है;
4. विद्यार्थी द्वारा किए गए उल्लंघन या व्यवहार की गंभीरता;
5. क्या विद्यार्थी द्वारा किए गए उल्लंघन या व्यवहार से किसी विद्यार्थी या कर्मचारी की सुरक्षा को खतरा है;

6. क्या विद्यार्थी द्वारा किए गए उल्लंघन या व्यवहार को संबोधित करने के लिए पुनर्स्थापनात्मक प्रथाओं का उपयोग किया जाएगा;
7. क्या कम हस्तक्षेप विद्यार्थी द्वारा किए गए उल्लंघन या व्यवहार को ठीक से संबोधित करेगा।

"पुनर्स्थापना पद्धतियों" का अर्थ उन प्रथाओं से है जो विद्यार्थी के दुराचार के कारण पीड़ित और स्कूल समुदाय को हुए नुकसान की मरम्मत पर जोर देती हैं।

जिन विद्यार्थियों को निष्कासित किया जाता है, उन्हें सामाजिक सेवाओं के उपयुक्त काउंटी विभाग या सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य एजेंसी के पास भेजा जाएगा। माता-पिता, कानूनी अभिभावक और/या विद्यार्थी को भी रेफरल के बारे में सूचित किया जाएगा।

उपरोक्त में से कोई भी अपराध करने वाले विद्यार्थियों के विषय में राज्य के कानून के तहत आवश्यक राज्य या स्थानीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों को सूचित किया जाएगा।

निष्कासन के अधीन प्रत्येक विद्यार्थी को राज्य के कानून द्वारा स्थापित आवश्यकताओं के अनुसार, मामले-दर-मामला आधार पर अधीक्षक द्वारा उसकी स्थिति की समीक्षा की जाएगी।

इस नीति का उद्देश्य डिस्ट्रिक्ट को लागू कानून के अनुपालन में रखना है, और इस तरह के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधीक्षक को इसके द्वारा अधिकृत किया जाता है।

अध्याय 11

अनुशासनात्मक प्रक्रिया

अनुपस्थित असामान्य परिस्थितियों में, किसी विद्यार्थी को तब तक निलंबित/हटाया नहीं जाएगा जब तक कि जांच की जा रही अनुशासनात्मक घटना में विद्यार्थी के शामिल होने का उचित संदेह न हो। इस तरह का निलंबन या निष्कासन अनुशासन नहीं होगा, हालांकि जिस घटना के कारण जांच हुई, वह अंततः अनुशासन में आ सकती है।

देय प्रक्रिया अधिकार

निलंबन या निष्कासन सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई के अधीन सभी विद्यार्थियों को उचित प्रक्रिया अधिकार प्रदान किए जाएंगे। विद्यार्थियों को उनके खिलाफ आरोपों की मौखिक या लिखित सूचना और उन आरोपों का जवाब देने का अवसर प्राप्त होगा।

एक स्कूल प्रशासक किसी भी अनुशासन को लागू करने से पहले किसी घटना की जांच के उद्देश्य से एक विद्यार्थी को स्कूल से अस्थायी रूप से निलंबित कर सकता है या हटा सकता है, जहां शैक्षणिक कार्यक्रम में व्यवधान को रोकने, जांच में संभावित हस्तक्षेप या समस्याओं से बचने, संघर्ष की स्थितियों को कम करने, विद्यार्थी या अन्य विद्यार्थियों के स्वास्थ्य या सुरक्षा की रक्षा करने, या किसी अन्य अनिवार्य कारण से रोकने के लिए इस तरह के अस्थायी निलंबन / निष्कासन को आवश्यक समझा जाता है।

निलंबन

निलंबन की लंबाई

निलंबन भवन प्रशासक द्वारा अधिसूचना के साथ शुरू होता है और अंतिम निलंबन दिवस की मध्यरात्रि तक जारी रहता है। निलंबन के दौरान, एक विद्यार्थी स्कूल-प्रायोजित गतिविधियों में भाग

नहीं ले सकता है या परिसर में या बाहर नहीं हो सकता है, न ही स्कूल डिस्ट्रिक्ट संपत्ति पर हो सकता है।

निलंबन के दौरान होमवर्क

निलंबन के दौरान कक्षा से अनुपस्थित रहने वाले प्रत्येक दिन के लिए कम से कम एक दिन की अनुमति दी जाती है ताकि छूटे हुए कार्यों को पूरा किया जा सके और परीक्षण की तैयारी की जा सके। कोई भी अनुपस्थिति विद्यार्थी के सीखने के अनुभव को प्रभावित करेगी और विद्यार्थी के अकादमिक प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है।

निलंबन प्रक्रिया

यदि विद्यार्थी को निलंबन के लिए उपयुक्त माना जाता है, या किसी भी अवधि के लिए अनुशासनात्मक परिवीक्षा पर रखा जाता है, तो भवन प्रशासक:

1. यदि संभव हो तो विद्यार्थी के भवन छोड़ने से पहले विद्यार्थी के माता-पिता को प्रस्तावित अनुशासनात्मक कार्रवाई और इसके कारणों के बारे में सूचित करें;
2. विद्यार्थी के माता-पिता (या विद्यार्थी, यदि 18 वर्ष या अधिक उम्र के हैं) को आरोपों और संबंधित साक्ष्य, सम्मेलन के समय और स्थान, और अनुशंसित निलंबन की अवधि की अधिसूचना प्रदान करें; एक सम्मेलन का समय निर्धारित करें, यदि माता-पिता या विद्यार्थी द्वारा अनुरोध किया जाता है, तो विद्यार्थी, उसके माता-पिता और अन्य व्यक्तियों को शामिल करने के लिए, जैसा कि भवन प्रशासक समस्या को हल करने के प्रयास के उद्देश्य के लिए उपयुक्त समझता है;
3. सम्मेलन के 24 घंटे के भीतर, विद्यार्थी और माता-पिता को अनुशासनात्मक निर्णय की लिखित सूचना प्रदान करें। यदि निर्णय निलंबित करना है, तो लिखित नोटिस में निलंबन की अवधि और शर्तें और निर्णय की अपील करने का अधिकार (यदि लागू हो) शामिल करें।

जब 10 दिनों से अधिक के निलंबन की सिफारिश की जाती है, तो भवन प्रशासक विद्यार्थी के माता-पिता को आरोपों और संबंधित सबूतों की लिखित अधिसूचना, सम्मेलन का समय और स्थान, और अनुशंसित निलंबन की अवधि प्रदान करेगा। भवन प्रशासक के साथ सम्मेलन में, विद्यार्थी को तथ्यों का अपना संस्करण देने की अनुमति दी जाएगी और उसके खिलाफ पेश किए गए सबूतों के बारे में

सूचित किया जाएगा। सम्मेलन में, विद्यार्थी को गवाहों को पेश करने और एक वकील या उसकी पसंद के अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिनिधित्व करने का भी अधिकार होगा। ये अधिकार अपील के उद्देश्यों के लिए किसी भी अनुवर्ती सुनवाई में भी लागू होते हैं।

यदि विद्यार्थी, मुख्याध्यापक या माता-पिता इस अध्याय के भीतर निर्दिष्ट किसी भी समय अवधि के भीतर मिलने में असमर्थ हैं, तो सुनवाई पारस्परिक रूप से सहमत समय पर निर्धारित की जा सकती है।

सम्मेलन के 24 घंटों के भीतर, भवन प्रशासक निर्णय के बारे में विद्यार्थी और उसके माता-पिता को सूचित करेगा और यदि लागू हो तो अपील करने का उसका अधिकार।

अपील

शामिल विद्यार्थी के माता-पिता को सभी अनुशासनात्मक अपील शुरू करनी चाहिए, जब तक कि विद्यार्थी 18 वर्ष का न हो, इस मामले में विद्यार्थी अपील शुरू कर सकता है।

अल्पकालिक निलंबन की अपील (6 से 10 दिन)

निलंबित करने के निर्णय की सूचना मिलने के 24 घंटे के भीतर निलंबित करने का निर्णय करने वाले भवन प्रशासक से संपर्क करके 6 से 10 दिनों के निलंबन की अपील की जा सकती है।

यदि निलंबित करने का प्रारंभिक निर्णय भवन मुख्याध्यापक के अलावा किसी अन्य व्यवस्थापक द्वारा किया गया था, तो अपील की सुनवाई भवन प्राचार्य द्वारा की जाएगी, जो पूर्व निर्णय की समीक्षा करेंगे, यदि प्रधानाध्यापक यह निर्धारित करता है कि यह आवश्यक है, तो विद्यार्थी और माता-पिता से मिलेंगे, और अपील की सूचना मिलने के बाद 2 स्कूल दिनों के भीतर विद्यार्थी के माता-पिता को अपने निर्णय की सूचना दें। यह इस मामले में अंतिम निर्णय होगा।

यदि निलंबित करने का प्रारंभिक निर्णय भवन मुख्याध्यापक द्वारा किया गया था, तो अपील की सुनवाई निम्नलिखित द्वारा की जाएगी:

- प्रारंभिक स्तर पर (ग्रेड K-5) - प्रारंभिक निर्देश के सहायक अधीक्षक।
- माध्यमिक स्तर पर (ग्रेड 6-12) - सहायक/उप अधीक्षक।

ऊपर सूचीबद्ध लागू व्यक्ति पूर्व निर्णय की समीक्षा करेगा, यदि आवश्यक हो तो विद्यार्थी और माता-पिता से मिलेंगे, और अपील की सूचना मिलने के बाद 3 स्कूल दिनों के भीतर विद्यार्थी के माता-पिता को अपने निर्णय की सूचना देंगे। यह इस मामले में अंतिम फैसला होगा।

लंबी अवधि के निलंबन की अपील (10 दिनों से अधिक)

10 से अधिक के निलंबन की अपील उस मुख्याध्यापक से संपर्क करके की जा सकती है जिसने निलंबित करने के निर्णय की सूचना मिलने के 24 घंटे के भीतर निलंबित करने का निर्णय किया था।

चरण 1: मुख्याध्यापक द्वारा समीक्षा (यदि लागू हो)

यदि निलंबित करने का निर्णय भवन प्राचार्य के अलावा किसी अन्य प्रशासक द्वारा किया गया था, तब अपील पर भवन मुख्याध्यापक द्वारा सुनवाई की जाएगी, जो पूर्व निर्णय की समीक्षा करेंगे और यदि मुख्याध्यापक निर्धारित करता है कि यह आवश्यक है तो विद्यार्थी और माता-पिता से मिलेंगे, और अपील की सूचना मिलने के बाद 2 स्कूल दिनों के भीतर विद्यार्थी के माता-पिता को अपने निर्णय की सूचना प्रदान करेंगे।

यदि निलंबित करने का प्रारंभिक निर्णय भवन के मुख्याध्यापक द्वारा किया गया था, तो अपील तुरंत चरण 2 पर आगे बढ़ेगी।

चरण 2: सहायक अधीक्षक प्रारंभिक निर्देश या सहायक / उप अधीक्षक द्वारा समीक्षा

यदि निलंबित करने का प्रारंभिक निर्णय भवन मुख्याध्यापक द्वारा किया गया था, तो अपील की सुनवाई निम्नलिखित द्वारा की जाएगी:

- प्रारंभिक स्तर पर (ग्रेड K-5) - प्रारंभिक निर्देश के सहायक अधीक्षक।
- माध्यमिक स्तर पर (ग्रेड 6-12) - सहायक/उप अधीक्षक।

ऊपर सूचीबद्ध व्यवस्थापक तीन स्कूल दिनों के भीतर शामिल पक्षों से मिलेंगे और मामले की समीक्षा करेंगे। उस बैठक के 24 घंटों के भीतर, सहायक प्रारंभिक निर्देश अधीक्षक या सहायक / उप अधीक्षक विद्यार्थी और उसके माता-पिता को भवन मुख्याध्यापक के निलंबित करने के निर्णय की पुष्टि करने, उलटने या संशोधित करने के अपने निर्णय की लिखित सूचना भेजेंगे। लिखित अधिसूचना चरण 3 के निर्णय को अपील करने के विद्यार्थी के अधिकार को भी स्पष्ट करेगी।

चरण 3:

एक विद्यार्थी के माता-पिता सहायक अधीक्षक प्रारंभिक शिक्षा (प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए) या सहायक / उप अधीक्षक (माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए) के निर्णय के खिलाफ अधीक्षक को अपील कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए, माता-पिता को प्राथमिक शिक्षा के सहायक अधीक्षक (प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए) या सहायक / उप अधीक्षक (माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए) को दो स्कूल दिनों के भीतर अपील की सूचना देनी होगी।

यदि अधीक्षक को यह आवश्यक लगता है, तो वह विद्यार्थी, माता-पिता और मामले पर अंतिम निर्णय लेने के लिए आवश्यक अन्य व्यक्तियों के साथ एक बैठक का समय निर्धारित करेगा। अधीक्षक विद्यार्थी और उसके माता-पिता को पुष्टि करने, उलटने के निर्णय की लिखित सूचना भेजेगा, या बैठक के तीन स्कूल दिनों के भीतर (यदि लागू हो) या विद्यार्थी के माता-पिता से अपील की सूचना मिलने के तीन स्कूल दिनों के भीतर पिछले निर्णय को संशोधित करेगा। **अधीक्षक का निर्णय अंतिम होता है।**

निष्कासन

यदि किसी विद्यार्थी को निष्कासन के लिए उपयुक्त माना जाता है, तो भवन प्रशासक:

1. विद्यार्थी के माता-पिता को सूचित करेंगे कि यदि संभव हो तो विद्यार्थी को भवन छोड़ने से पहले संभावित निष्कासन तक निलंबित कर दिया जाता है;
2. यदि निष्कासन की सिफारिश की जाती है तो घटना के तीन दिनों के भीतर निर्धारित करें और यदि हां, तो लिखित सिफारिश अधीक्षक को अग्रेषित करें;
3. विद्यार्थी के माता-पिता (या विद्यार्थी, यदि 18 वर्ष या अधिक आयु के हैं) को लिखित सूचना प्रदान करें -
    a. आरोप और संबंधित सबूत;
    b. निष्कासन सुनवाई का समय और स्थान;
    c. निष्कासन सुनवाई प्रक्रिया की व्याख्या; तथा
4. यदि विद्यार्थी या विद्यार्थी के माता-पिता द्वारा ऐसा करने का अनुरोध किया जाता है, तो विद्यार्थी, विद्यार्थी के माता-पिता और अन्य व्यक्तियों के साथ एक सम्मेलन आयोजित करें, जैसा कि भवन प्रशासक आरोपों, संबंधित साक्ष्य, प्रस्तावित निष्कासन, सुनवाई प्रक्रिया या संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए उपयुक्त समझता है।

भवन प्रशासक की सिफारिश प्राप्त करने के पांच स्कूल दिनों के भीतर, अधीक्षक या उनके नामित व्यक्ति मामले की समीक्षा करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ सुनवाई करेंगे। यदि विद्यार्थी, अधीक्षक, या माता-पिता समय अवधि के भीतर मिलने में असमर्थ हैं, तो सुनवाई एक पारस्परिक रूप से सहमत समय पर निर्धारित की जा सकती है। किसी भी सुनवाई या अपील समयरेखा के लिए पारस्परिक रूप से सहमत समय को प्रतिस्थापित किया जा सकता है।

सुनवाई के तीन स्कूल दिनों के भीतर, अधीक्षक या नामिती विद्यार्थी और उसके माता-पिता को भवन प्रशासक की सिफारिश की पुष्टि, उलटने या संशोधित करने के निर्णय की लिखित सूचना भेजेगा।

अपील

एक नाबालिग विद्यार्थी के माता-पिता, या 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के विद्यार्थी, निष्कासन की लिखित सूचना प्राप्त करने के बाद दो स्कूल दिनों के भीतर अपील की लिखित सूचना प्रदान करके ट्रॉय बोर्ड ऑफ एजुकेशन को निष्कासित करने के अधीक्षक के फैसले की अपील कर सकते हैं। अगली नियमित रूप से निर्धारित बोर्ड बैठक में ट्रॉय बोर्ड ऑफ एजुकेशन के समक्ष सुनवाई की जाएगी। ट्रॉय बोर्ड ऑफ एजुकेशन सुनवाई पूरी होने के बाद 3 स्कूल दिनों के भीतर विद्यार्थी और उसके माता-पिता को लिखित रूप में अपने निर्णय के बारे में सूचित करेगा।

यदि ट्रॉय बोर्ड ऑफ एजुकेशन किसी विद्यार्थी को निष्कासित करता है, तो विद्यार्थी को आगे के मार्गदर्शन और परामर्श या रोजगार या सतत शिक्षा प्राप्त करने में सहायता के लिए एक उपयुक्त एजेंसी के संदर्भ के लिए स्कूल काउंसलर के पास भेजा जाएगा।

जैसा कि संशोधित स्कूल संहिता की धारा 1311 और 1311a में उल्लिखित है, संशोधित स्कूल संहिता की उन धाराओं के अनुसार निष्कासित विद्यार्थी उन वैधानिक प्रावधानों के अनुसार बहाली के लिए याचिका दायर कर सकते हैं।

सुनवाई प्रक्रिया

अधीक्षक और ट्रॉय बोर्ड ऑफ एजुकेशन के समक्ष सुनवाई के दौरान, विद्यार्थी को तथ्यों का अपना संस्करण देने की अनुमति दी जाएगी और उसके खिलाफ पेश किए गए सबूतों के बारे में सूचित किया जाएगा। सुनवाई के दौरान, विद्यार्थी को गवाहों को पेश करने और एक वकील या उसकी

पसंद के अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिनिधित्व करने का भी अधिकार होगा। क्रॉस-एग्जामिनेशन की अनुमति दी जाएगी क्योंकि उचित प्रक्रिया पर विचार करने की आवश्यकता हो सकती है।

अध्याय 12

शिकायत करने की प्रक्रिया

शिकायत करने की प्रक्रिया

शिकायत एक विद्यार्थी द्वारा लगाया गया यह आरोप है कि एक स्थापित स्कूल नीति या विनियम का उल्लंघन, गलत व्याख्या या असमान आवेदन किया गया है, या यदि विद्यार्थी को लगता है कि उसके साथ गलत व्यवहार किया गया है या गैर-अनुशासनात्मक मामले में उचित प्रक्रिया से इनकार किया गया है। अनुशासनात्मक मुद्दों की अपीलों से निपटने की प्रक्रिया पृष्ठ 54 पर उल्लिखित है।

अनौपचारिक शिकायत प्रक्रिया

विद्यार्थी अपील/शिकायत फॉर्म दायर करने से पहले विद्यार्थी को इस मुद्दे पर शामिल स्टाफ सदस्य के साथ अनौपचारिक रूप से चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। लोकपाल (केवल हाई स्कूल) शिकायत को अनौपचारिक रूप से हल करने के प्रयास में मदद कर सकता है और यदि छात्र चाहे तो स्टाफ सदस्य के साथ एक सम्मेलन में उसके साथ जाएगा। लोकपाल के साथ संपर्क करना शुरू करना विद्यार्थी की ज़िम्मेदारी है।

उम्मीद है कि इस तरह से अधिकांश शिकायतों का समाधान किया जाएगा। यदि यह अनौपचारिक दृष्टिकोण सफल नहीं होता है या स्थिति पर लागू नहीं होता है, तो विद्यार्थी निम्नलिखित औपचारिक शिकायत प्रक्रिया शुरू कर सकता है।

औपचारिक शिकायत प्रक्रिया

विद्यार्थी को स्कूल प्रशासन से एक मानक विद्यार्थी शिकायत फॉर्म प्राप्त करना होगा, फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को भरना होगा और घटना के दो स्कूल दिनों के भीतर प्रिंसिपल को जमा करना होगा।

फाइलिंग की तारीख से तीन स्कूल दिनों के भीतर, प्रिंसिपल विद्यार्थी और स्टाफ सदस्य की बैठक बुलाएगा ताकि मामले को जल्द से जल्द हल किया जा सके। इस बैठक में विद्यार्थी के साथ उसके माता-पिता और/या लोकपाल भी हो सकते हैं। मुख्याध्यापक बैठक के तीन दिनों के भीतर छात्र शिकायत प्रपत्र पर छात्र, उसके माता-पिता और स्टाफ सदस्य को लिखित रूप में अपने निर्णय के बारे में सूचित करेगा।

छात्र एक औपचारिक शिकायत के प्रतिकूल निर्णय के खिलाफ प्राथमिक शिक्षा के सहायक अधीक्षक को अपील कर सकता है (प्राथमिक विद्यालय के मामलों में) या सहायक माध्यमिक शिक्षा अधीक्षक (मध्य और उच्च विद्यालय के मामलों में) को छात्र शिकायत प्रपत्र भरकर प्रधानाध्यापक की प्रतिक्रिया के दो स्कूल दिनों के भीतर प्रधानाचार्य को वापस कर दें। मुख्याध्यापक उपयुक्त सहायक अधीक्षक को सलाह देंगे कि अपील के लिए अनुरोध प्राप्त हो गया है।

प्राथमिक शिक्षा के सहायक अधीक्षक या माध्यमिक शिक्षा के सहायक / उप अधीक्षक मामले को सुलझाने के लिए अनुरोध के पांच स्कूल दिनों के भीतर विद्यार्थी, स्टाफ सदस्य और प्रिंसिपल के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में विद्यार्थी के साथ उसके माता-पिता और/या लोकपाल भी हो सकते हैं।

प्रारंभिक शिक्षा के सहायक अधीक्षक या माध्यमिक शिक्षा के सहायक / उप अधीक्षक बैठक के तीन स्कूल दिनों के भीतर छात्र शिकायत प्रपत्र पर सभी प्रतिभागियों को अपने निर्णय से अवगत कराएंगे।

छात्र प्राथमिक शिक्षा के सहायक अधीक्षक के निर्णय के खिलाफ माध्यमिक शिक्षा के सहायक / उप अधीक्षक को छात्र शिकायत प्रपत्र भरकर और प्राथमिक शिक्षा के सहायक अधीक्षक द्वारा निर्णय के तीन स्कूल दिनों के भीतर प्रिंसिपल को वापस कर सकता है। प्रधानाचार्य माध्यमिक शिक्षा के सहायक/उप अधीक्षक को सलाह देंगे कि अपील के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है।

माध्यमिक शिक्षा के सहायक/उप अधीक्षक मामले को सुलझाने के प्रयास में अनुरोध के पांच स्कूल दिनों के भीतर छात्र, स्टाफ सदस्य, प्रधानाचार्य और सहायक प्रारंभिक शिक्षा अधीक्षक के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में छात्र के साथ उसके माता-पिता और/या लोकपाल भी हो सकते हैं। माध्यमिक के सहायक अधीक्षक अपने निर्णय से संबंधित सभी पक्षों को सूचित करेंगे।

माध्यमिक शिक्षा के सहायक/उप अधीक्षक का निर्णय अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

अपील/शिकायत प्रक्रिया के संबंध में अतिरिक्त टिप्पणियाँ

अपील के दौरान सामान्य स्कूल प्रक्रियाओं के अनुसार विद्यार्थियों को स्कूल से हटाया जा सकता है, जब प्रिंसिपल की राय में, स्कूल में छात्र की उपस्थिति खतरनाक या विघटनकारी मानी जाती है।

यदि मुख्याध्यापक, सहायक प्रारंभिक शिक्षा अधीक्षक या माध्यमिक शिक्षा के सहायक/उप अधीक्षक उपलब्ध नहीं हैं, तो उनके नामित प्रतिनिधि शिकायत प्रक्रिया के दौरान उनकी ओर से कार्य कर सकते हैं।

सभी पक्षों के अधिकारों की रक्षा के लिए सभी रिकॉर्ड, रिपोर्ट और की गई कार्रवाई को गोपनीय रखा जाएगा। अपील और/या शिकायत का कोई रिकॉर्ड छात्र के CA-60 में नहीं रखा जाएगा।

बैठक आयोजित करने या निर्णय देने में किसी भी प्रशासक की विफलता अगले स्तर पर स्वत: अपील की अनुमति देगी।

अपील और/या शिकायत प्रक्रिया में किसी भी समय, आपसी सहमति से समय सीमा बढ़ाई जा सकती है।

शब्दकोष

व्यवहारिक अनुबंध एक छात्र, छात्र के माता-पिता और प्रिंसिपल के साथ एक लिखित समझौता जो विशेष रूप से उन शर्तों को बताता है जिन्हें व्यवहार संबंधी समस्या को ठीक करने के लिए पूरा किया जाना चाहिए।

बंद परिसर एक जिसमें सभी छात्र स्कूल दिवस के दौरान स्कूल की साइट पर रहते हैं, जब तक कि छुट्टी की अधिकृत अनुमति नहीं दी जाती है।

ड्राइविंग विशेषाधिकारों से इनकार एक निर्दिष्ट समय के लिए स्कूल जाने की अनुमति से इनकार।

निरोध विद्यार्थी को एक पर्यवेक्षित क्षेत्र में रखना।

अनुशासनात्मक परिवीक्षा एक समय अवधि है जिसमें एक छात्र को पिछले व्यवहार संबंधी समस्याओं के कारण परिवीक्षा पर रखा जाता है। अनुशासनात्मक परिवीक्षा एक स्वीकार्य अनुशासनात्मक प्रक्रिया है जिसके तहत कोई छात्र पाठ्येतर गतिविधियों में भाग नहीं ले सकता है, किसी भी दर्शक के सामने प्रदर्शन नहीं कर सकता है या किसी भी क्षमता में स्कूल डिस्ट्रिक्ट का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है।

निष्कासन 60 दिनों से अधिक (MCL 380.1310) से अधिक समय के लिए स्कूल से एक छात्र का अस्थायी स्थायी बहिष्कार।

स्कूल में निलंबन विद्यार्थी की विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए कार्यक्रम के लिए एक विद्यार्थी का असाइनमेंट। यह असाइनमेंट विद्यार्थी के होम स्कूल या किसी अन्य साइट पर स्थित हो सकता है।

लोकपाल एक व्यक्ति जो अनुशासनात्मक मामलों को शामिल नहीं करते हुए इस पुस्तिका में दिए गए अधिकारों का दावा करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है।

माता-पिता की अधिसूचना फोन, पत्र या बैठक द्वारा माता-पिता से संपर्क करें।

सामाजिक सेवा एजेंसियों के लिए रेफरल एक सिफारिश है कि विद्यार्थी एक सार्वजनिक या निजी सामाजिक सेवा एजेंसी से मदद मांगता है।

न्यायालयों के लिए रेफरल उपयुक्त न्यायिक निकाय के साथ एक कथित अवैध कार्रवाई का आरोप दाखिल करना।

कक्षा से निष्कासन एक विद्यार्थी को कक्षा से हटाना जब उसका आचरण गंभीर रूप से विघटनकारी हो और अनौपचारिक समाधान अव्यावहारिक हो।

फटकार अस्वीकार्य व्यवहार के लिए निंदा की एक लिखित अधिसूचना, जिसमें स्कूल के विशेषाधिकारों को हटाना या प्रतिबंधित करना भी शामिल हो सकता है।

बहाली/पुनर्स्थापना क्षतिग्रस्त, खोई या चोरी हुई संपत्ति या वस्तुओं के लिए भुगतान या पुनर्स्थापन।

स्नैप निलंबन राज्य के कानून के अनुसार एक शिक्षक द्वारा एक विद्यार्थी को जारी किया गया अनुशासनात्मक निलंबन।

वैधानिक अपराध एक विद्यार्थी उल्लंघन जो एक राज्य कानून (संविधि) का उल्लंघन करता है।

निलंबन 60 दिनों से कम (MCL 380.1310) से कम का एक निर्दिष्ट समय जब एक विद्यार्थी को कक्षाओं में भाग लेने, स्कूल के मैदान पर रहने या किसी भी पाठ्येतर गतिविधियों में भाग लेने या भाग लेने की अनुमति नहीं है।

मंदता कक्षा के शिक्षक द्वारा परिभाषित के अनुसार कक्षा शुरू होने के समय एक विद्यार्थी के कक्षा या सीट पर नहीं होने का कार्य।

कार्य असाइनमेंट एक सौंपा गया कार्य जिसे विद्यार्थी द्वारा पूरा किया जाना चाहिए और एक समान समय के निरोध के लिए प्रतिस्थापित किया जा सकता है।

कार्य दिवस वह दिन जब ट्रॉय स्कूल डिस्ट्रिक्ट के प्रशासनिक कार्यालय जनता की सेवा के लिए खुले होते हैं। एक कार्य दिवस में वे दिन शामिल होते हैं जब स्कूल सत्र में नहीं होते हैं, जैसे वसंत की छुट्टी और गर्मी की छुट्टी।

गैर-भेदभाव की नीति

ट्रॉय स्कूल डिस्ट्रिक्ट के विद्यार्थी, अभिभावक और नागरिक:

1972 के शिक्षा संशोधन का शीर्षक IX प्रदान करता है कि किसी भी व्यक्ति को, लिंग के आधार पर, भाग लेने से वंचित नहीं किया जाएगा, या किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम या संघीय वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली गतिविधि के तहत भेदभाव के अधीन नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि कानून द्वारा अनुमति दी जाए।

1973 के पुनर्वास अधिनियम की धारा 504 प्रदान करती है कि किसी भी अन्य योग्य विकलांग व्यक्ति को, केवल उसकी विकलांगता के कारण, संघीय वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी कार्यक्रम या गतिविधि के तहत भाग लेने से वंचित नहीं किया जाएगा, लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा, या भेदभाव के अधीन नहीं किया जाएगा।

यह ट्रॉय स्कूल डिस्ट्रिक्ट की नीति है कि वह अपने कार्यक्रमों और गतिविधियों में प्रवेश या उपचार या रोजगार में प्रवेश या पहुंच में लिंग या बाधा के आधार पर भेदभाव न करे। ट्रॉय स्कूल डिस्ट्रिक्ट समय-समय पर शीर्षक IX और धारा 504 के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपने शैक्षिक और रोजगार कार्यक्रमों और गतिविधियों की समीक्षा करता है।

ट्रॉय स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने विद्यार्थियों, कर्मचारियों या समुदाय के सदस्यों द्वारा लिंग या विकलांगता के आधार पर भेदभाव का आरोप लगाने वाली शिकायतों का त्वरित और न्यायसंगत समाधान प्रदान करने के लिए एक शिकायत प्रक्रिया स्थापित की है। शिकायत प्रक्रिया किसी भी स्कूल कार्यालय के माध्यम से या शीर्षक IX और नीचे सूचीबद्ध धारा 504 मामलों के समन्वयक से संपर्क करके उपलब्ध है। इसके अलावा, एक स्कूल डिस्ट्रिक्ट कर्मचारी जो एक सौदेबाजी इकाई का हिस्सा है, सामूहिक सौदेबाजी समझौते में स्थापित शिकायत प्रक्रिया के माध्यम से शिकायत पर कार्रवाई कर सकता है।

संघीय नियमों के अनुसार, ट्रॉय स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने श्री जॉर्डन हैरिस, कर्मचारी सेवाओं के सहायक अधीक्षक को शीर्षक IX समन्वयक और सुश्री जेसिका कैरियर, विशेष शिक्षा निदेशक को धारा 504 समन्वयक के रूप में नियुक्त किया है। किसी भी प्रश्न, सुझाव या शिकायत को निर्देशित किया जाना चाहिए:

श्री जॉर्डन हैरिस
कर्मचारी सेवाओं के लिए सहायक अधीक्षक
शीर्षक IX समन्वयक

सुश्री जैसिका कैरियर
विशेष शिक्षा निदेशक
धारा 504 समन्वयक

ट्रॉय स्कूल डिस्ट्रिक्ट • 4400 लिवरनोइस रोड • ट्रॉय, मिशिगन 48098
248.823.4000

4830-7166-2424, v. 4